माननीय न्यायाधीश रंजीत सिंह के समक्ष

शमशेर सिंह (मृतक) अपने एल.आर. के माध्यम से- वादी/अपीलकर्ता

बनाम

गोबिंद सिंह और अन्य - प्रतिवादी/प्रतिवादी

1982 आर.एस.ए. संख्या 119
2 जुलाई, 2008

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 — दत्तक ग्रहण विलेख — वादी पहली बार जब उन्होंने दायर किया, तो एक दत्तक पुत्र के रूप में अपना अधिकार जताते हुए अपने कथित दत्तक पिता की मृत्यु के 10 साल बाद 1958 में, एक मुकदमा —10 साल की देरी और संपत्ति की अनुमति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं कथित रूप से गोद लिए गए पिता की पत्नी के नाम पर उत्परिवर्तित होना — निचली अदालतें ठोस और वैध कारण देकर विचार से इनकार करती हैं - निचली अदालतें सभी मुद्दों पर उचित रूप से चर्चा करती हैं और निर्णय लेती हैं— कम द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है अपीलीय न्यायालय कीं— अपील खारिज. निर्धारित, शमशेर सिंह को गंडा सिंह का दत्तक पुत्र बताने वाली वंशावली प्रविष्टियाँ केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के तैयार किया गया एक रिकॉर्ड है, जिसे वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता-वादी के पिता गुरबचन सिंह द्वारा उठाए गए रुख को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसे पिछले पैराग्राफ में विस्तार से देखा गया है।अपीलकर्ता के प्राकृतिक पिता गुरबचन सिंह ने शमशेर सिंह को गोद लेने से इनकार कर दिया और इस पृष्ठभूमि में नीचे की अदालतों की टिप्पणियों से पता चलता है कि शाम कौर पहले ही तथाकथित गोद लेने के लिए सहमत हो गई थी जब बसंत कौर और बलजीत कौर उसके खिलाफ मुकदमे में चली गईं और वह अपने लिए थी। इस तथाकथित स्वीकारोक्ति को समझाने के लिए सुरक्षा को वैध स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार, इस स्वीकारोक्ति को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है जैसा कि नीचे के न्यायालयों द्वारा किया गया है।

(पैरा 37)

अभिनिर्धारित, अपीलकर्ता ने वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित फैसले की एक प्रति पेश करने के लिए आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया था। यह फ़ैसला 31 अक्टूबर, 1952 का था जिसमें एक भूमि पर कब्जा करने के लिए बसंत कौर और बलजीत कौर के मुकदमे को खारिज कर दिया।निचली

अपीलीय अदालत ने इस आवेदन पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह निर्णय वर्तमान मामले में विवाद पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि निचली अपीलीय अदालत ने देखा, मौजूदा मामले में सवाल यह देखना था कि शाम कौर का उत्तराधिकारी कौन होगा यानी वादी या बसंत कौर और बलजीत कौर और ऐसे में वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा दिए गए फैसले की इस संबंध में अधिक प्रासंगिकता नहीं होगी।इस फैसले की प्रति मेरे सामने रखी गई थी और उसके अवलोकन से पता चलता है कि मुकदमा तब खारिज कर दिया गया था जब वादी ने जिला अंबाला में स्थित संपत्ति पर अपने दावे को सीमित करने के लिए वाद में संशोधन करने से इनकार कर दिया था।गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अन्यथा भी, वकील यह नहीं दिखा सका कि क्या वादी ने अपीलीय चरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए कोई मामला बनाया था। यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया।

(पैरा 38)

अभिनिर्धारित, अपीलकर्ता-वादी ने पहली बार दत्तक पुत्र के रूप में अपने अधिकार का दावा तब किया जब उसने वर्ष 1958 में मुकदमा दायर किया। यह उसके कथित दत्तक पिता गंडा सिंह की मृत्यु के दस साल बाद हुआ था। वह दस साल तक इंतजार क्यों करेंगे और संपत्ति को शाम कौर के नाम पर बदलने की अनुमति क्यों देंगे, यह आसानी से नहीं बताया जा सकता है।वह फिर भी सफल नहीं हुए और उसके बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद, उन्होंने यह मुकदमा वर्ष 1976 में दायर किया। वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए उन्होंने 1958 से 1976 तक इंतजार क्यों किया? वर्ष 1958 में उनके द्वारा दायर प्रारंभिक मुकदमे में, उनके प्राकृतिक पिता ने शाम कौर की ओर से एक लिखित बयान दायर किया था जिसमें कहा गया था कि गोद लेना कभी नहीं हुआ था।इन सभी मुद्दों पर नीचे के न्यायालयों द्वारा उचित रूप से चर्चा और निर्णय दिया गया है। मुझे निचली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में कोई कानूनी कमजोरी नहीं मिली।

(पैरा 41)

दीपक सिबल एडवोकेट, दविंदर लुबाना एडवोकेट,अक्षय भान एडवोकेट,
अपीलकर्ताओं के एल.आर. के लिए।

विनोद भारद्वाज, एडवोकेट।

अजय तेवरी, एडवोकेट, याचिकर्ता के लिए , सीएम नं. 2007 का 444-सी ।

जी.एस. ग्रेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री तनिष्क पेशावरिया के साथ, अधिवक्ताओं, प्रतिवादियों के लिए।

रणजीत सिंह, न्यायाधीश

1. अपीलकर्ता ने संपत्ति के अधिकार और शीर्षक का दावा किया है चूँकि एक दत्तक पुत्र हैं। वह उस मुकदमे में असफल रहे जो उन्होंने दायर किया था और पहली अपील में और इस तरह वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर करके दोनों फैसले को चुनौती दी थी।

2. विवाद पूर्व-विभाजन युग में जाता है और वर्तमान अपील है 1982 से लंबित है। यहां तक कि अपीलकर्ता-वादी भी नहीं है और खड़ा है उनके L.Rs द्वारा प्रतिस्थापित। इसी तरह कुछ उत्तरदाता भी खड़े हैं उनके एल.आर. उनकी मृत्यु पर प्रतिस्थापित हैं । और यह परिलक्षित होता है समय-समय पर पार्टियों के ज्ञापन में किए गए संशोधन देखक़र। अब भी, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 का एक आवेदन न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है, जिसमें आदेश के तहत गुरशरण कौर को प्रतिवादी संख्या 18 के रूप में शामिल करने की प्रार्थना की गई है। मामले में दलीलें सुनने और फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह आवेदन भरा गया था। आवेदक खुद को गंडा सिंह की पत्नी शाम कौर का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करता है, जिसकी संपत्ति वर्तमान अपील में मुद्दा है।आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदक अब सुनवाई के लिए कैसे जागी है और वह कहां रह गई है, जबकि मुकदमा वर्ष 1976 में दायर किया गया था और 1979 में निर्णय लिया गया था। इस आवेदन का तदनुसार उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया है और वही किया जाएगा। उस विवाद का संदर्भ देने के बाद निपटाया जाना चाहिए जिसके लिए वर्तमान मामले में निर्णय की आवश्यकता है।

3. इस मामले में तथ्य यह हैं कि शमशेर सिंह (अपीलकर्ता वादी) ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वह वादी के शीर्षक में वर्णित भूमि के कब्जे में मालिक है और आगे की घोषणा के लिए कि वह इक्विटी का मालिक है। वादपत्र के शीर्षक में अलग से वर्णित खाता संख्या 35/35 और खसरा संख्या के अनुसार भूमि के बारे में मोचन का उल्लेख किया गया है और वर्ष 1973-74 के लिए जमाबंदी में दर्ज किया गया है, जो ग्राम सुखगढ़,

हदबस्त संख्या के क्षेत्र में स्थित है, 89, तहसील खरड़।विकल्प में, अपीलकर्ता-वादी ने मुकदमे में भूमि पर कब्जे का भी दावा किया है। यह जमीन मूल रूप से गांव के निहाल सिंह पुत्र गंडा सिंह की हैसुखगढ़। अपीलकर्ता-वादी हमाम सिंह की पुत्री करम कौर का पुत्र है, जो गंडा सिंह से संबंधित था। हमाम सिंह की मृत्यु के बाद उनके स्वामित्व वाली संपत्ति उनके सगे भाई अमर सिंह को विरासत में मिली। अमर सिंह निःसंतान मर गए क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और इस प्रकार अमर सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति गंडा सिंह को विरासत में मिली क्योंकि वह अमर सिंह के एकमात्र जीवित चचेरे भाई थे। वर्ष 1948 में गंडा सिंह की मृत्यु हो गई, वे अपने पीछे अपनी पत्नी शाम कौर और कथित तौर पर अपने दत्तक पुत्र शमशेर सिंह (वादी-अपीलकर्ता) को छोड़ गए।गंडा सिंह एक जाट कृषक था और इस प्रकार उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में रीति-रिवाजों द्वारा शासित था। मुकदमे में आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता-वादी के पिता के साथ करम कौर की शादी के बाद, वह गंडा सिंह के साथ रहती थी और उसने दो बच्चों को जन्म दिया, यानी अपीलकर्ता-वादी और उसके छोटे भाई शिवदेव सिंह। गंडा सिंह भी निःसंतान था और इस प्रकार यह दावा किया जाता है कि अपीलकर्ता-वादी के जन्म के तुरंत बाद, उसने अपेक्षित समारोह करने के बाद प्रथा के तहत वादी को अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया था। यह दावा किया जाता है कि यह गोद लेने का कार्य भाईचारे के संग्रह में किया गया था जहां 'गुड़' वितरित किया गया था और अपीलकर्ता-वादी को गंडा सिंह ने गोद में लिया था।उस तिथि के बाद से, अपीलीय-वादी का दावा है कि वह गंडा सिंह के साथ रहता था और उसे अपने बेटे के रूप में माना जाता था और अपीलकर्ता गंडा सिंह को अपने पिता के रूप में मानता रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि गंडा सिंह की पत्नी शाम कौर भी अपीलकर्ता को अपने बेटे की तरह मानती रही है। अपीलकर्ता का यह भी दावा है कि उसका पालन-पोषण, शिक्षा और विवाह उसके दत्तक पिता गंडा सिंह ने किया। मामला आगे यह है कि गंडा सिंह की मृत्यु के बाद, वह अकेले ही उनका दत्तक पुत्र होने के नाते उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी था, लेकिन अपनी दत्तक मां का विश्वास हासिल करने के लिए, उन्होंने उनकी विधवा शाम कौर के पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी दे दी। गंडा सिंह और अपीलकर्ता-वादी की दत्तक मां।शाम कौर और शमशेर सिंह के नाम बराबर हिस्से में म्यूटेशन मंजूर किया गया। अपीलकर्ता शमशेर सिंह ने कुछ समय के लिए लंबरदार के रूप में भी काम किया था और कहा था कि उसे शाम कौर ने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। वह अपनी दत्तक माँ के साथ रहता रहा और उसके साथ संयुक्त रूप से संपत्ति का आनंद लेता रहा। अपीलकर्ता का दावा है कि मुकदमा दायर करने से छह साल पहले, शाम कौर की मृत्यु हो गई।संपत्ति पर उनका कब्जा बरकरार रहा लेकिन बसंत कौर और बलजीत कौर प्रतिवादियों की मां नं. क्रमशः 1 से 4 और 5 और 5 ए ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि का उत्परिवर्तन स्वीकृत करा लिया।

अपीलकर्ता को दरकिनार करने का पक्ष लें। इस प्रकार, उनका दावा है कि संपत्ति को गलत तरीके से हमाम सिंह की बेटियों बसंत कौर और बलजीत कौर के पक्ष में बदल दिया गया था, क्योंकि दत्तक पुत्र होने के नाते वह शाम कौर की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार था।अपीलकर्ता आगे दावा करेगा कि शाम कौर मुकदमे की संपत्ति की मालिक नहीं थी और अपीलकर्ता-वादी के लिए केवल एक ट्रस्टी 'बेनामीदार' थी; जबकि कानूनी और लाभकारी (न्यायसंगत स्वामित्व) अपीलकर्ता-वादी में निहित है। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया है कि वह अपनी दत्तक मां शाम कौर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है और उस पर कब्जा कर रहा है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ऐ के पक्ष में उत्परिवर्तन स्वीकृत किया गया है ज़ो की संख्या 1064, दिनांक 19 अगस्त, 1971 के तहत बिना किसी अधिकार के है और इस तरह पूरी तरह से अवैध है।इस उत्परिवर्तन के आधार पर ही प्रतिवादी अपीलार्थी-वादी को वाद की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपीलार्थी-वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने कब्जे वाली भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा का दावा किया है। जहां तक उस भूमि का संबंध है जो बंधककर्ताओं के कब्जे में है, अपीलकर्ता-वादी ने घोषणा का दावा किया है कि वह मोचन की इक्विटी का मालिक है और वैकल्पिक रूप से उसने उक्त वाद भूमि पर भी कब्जे का दावा किया है। संक्षेप में, अपीलकर्ता-वादी का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि वह दत्तक पुत्र है, गंडा सिंह और शाम कौर इस प्रकार हमाम सिंह की बेटियों बसंत कौर और बलजीत कौर को छोड़कर जमीन के स्वामित्व और कब्जे के हकदार हैं।

4. मुकदमे का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया, जो बसंत कौर और बलजीत कौर की संतान हैं। प्रतिवादियों के अनुसार, मुकदमा भूमि गंडा सिंह का कभी स्वामित्व या कब्ज़ा नहीं था। उन्होंने इससे भी इनकार किया अपीलकर्ता-वादी को गंडा सिंह ने अपने बेटे के रूप में गोद लिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि वह कभी भी गंडा सिंह का दत्तक पुत्र नहीं बन सका शाम कौर. उत्तरदाताओं का निवेदन होगा कि अपीलकर्ता-वादी गंडा सिंह द्वारा कभी उनका पालन-पोषण, शिक्षा या विवाह नहीं किया गया और किया गया गंडा सिंह और शाम कौर ने कभी भी बेटे जैसा व्यवहार नहीं किया। उनके उत्तर में, उत्तरदाताओं का कहना है कि अपीलकर्ता-वादी दर्ज किया गया है स्कूल रिकॉर्ड में गुरबचन सिंह के बेटे के रूप में और मतदाताओं में भी सूची और सेना सेवा के रिकॉर्ड में, जहां वह वर्ष 1939 से 1941 तक रहे। प्रतिवादी-प्रतिवादी भी इंगित करेंगे अपीलकर्ता ने स्वयं को गुरबचन सिंह का पुत्र बताते हुए सहकारी समिति, सुखगढ़ से ऋण उठाया था। दावा किया गया है कि अपीलकर्ता के पिता गुरबचन सिंह ने भी कथित गोद लेने से इनकार

किया है। गोद लेने का विलेख, जिसे सेवा में रखा गया था, हालांकि प्रदर्शित नहीं किया गया था, यह आग्रह करने के अलावा कागजी लेनदेन बताया गया है कि अपीलकर्ता-वादी को कथित गोद लेने के विलेख से पहले या बाद में कभी भी गोद नहीं लिया गया था और न ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, जिसे गंडा सिंह ने भी नष्ट कर दिया था। अपीलकर्ता के पक्ष में भूमि के म्यूटेशन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि उसके पक्ष में गलत तरीके से मंजूरी दी गई थी और शाम कौर की उपस्थिति भी गलत तरीके से दर्ज की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि शाम कौर ने कभी भी गोद लेने की बात स्वीकार नहीं की, बल्कि 14 अक्टूबर, 1958 को अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर एक मुकदमे में सिविल कोर्ट के समक्ष कथित गोद लेने का जोरदार विरोध किया था, जिसे 16 दिसंबर, 1959 को खारिज कर दिया गया था।यह मुकदमा अपीलकर्ता द्वारा गंडा सिंह के दत्तक पुत्र होने के नाते उसकी भूमि पर कब्जे का दावा करते हुए दायर किया गया था। जैसा कि अपीलकर्ता-वादी ने उक्त मुकदमे में आरोप लगाया था, शाम कौर ने गोद लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें कथित तौर पर वह अपीलकर्ता-वादी को छोड़कर भी विशेष कब्जे का आनंद ले रही थी। उत्तर में यह भी खुलासा किया गया है कि शाम कौर की मृत्यु वर्तमान सिविल मुकदमे के शुरू होने के छह साल पहले ही हो गई थी। तदनुसार, प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता के स्वामित्व और वाद भूमि पर उसके कब्जे से इनकार किया गया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, शाम कौर के पक्ष में उत्परिवर्तन स्वीकृत किया गया था, वह गंडा सिंह की एकमात्र उत्तराधिकारी थी, जिसका अपीलकर्ता-वादी द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया था। उन्होंने गंडा सिंह की भूमि के आवंटन के लिए पुनर्वास अधिकारियों के समक्ष दावा भी नहीं किया और पाकिस्तान में चले गए। इस प्रकार, यह दावा किया गया है कि शाम कौर की विरासत का उत्परिवर्तन बसंत कौर, (प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की मां और बलबीर कौर, (प्रतिवादी संख्या 5 और 5-ए की मां) के पक्ष में उचित रूप से स्वीकृत किया गया था।

5. अपने मामले को और मजबूत करने के लिए, उत्तरदाताओं ने बताया कि अपीलकर्ता-वादी ने उत्परिवर्तन का विरोध किया था और वित्तीय आयुक्त तक असफल रहे। इस प्रकार, इस बात से इनकार किया जाता है कि अपीलकर्ता-वादी दत्तक पुत्र है और दावे के अनुसार शाम कौर या गंडा सिंह की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है। यह दावा कि शाम कौर केवल ट्रस्टी थी, यह कहकर फिर से खारिज कर दिया गया कि वह मालिक थी और संपत्ति का कब्ज़ा भी उसके पास ही था और इस प्रकार भूमि/संपत्ति उचित रूप से बसंत कौर और बलजीत कौर के कब्जे और स्वामित्व में आ गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि शाम कौर ने कभी कोई जमीन गिरवी नहीं रखी थी और इस तरह अपीलकर्ता-वादी की सहमति का सवाल ही नहीं उठता।

अपीलकर्ता-वादी कब्जे से बाहर है और वर्ष 1959 में कब्जे के लिए दायर अपने मुकदमे में असफल होने के कारण, उसका अधिकार और शीर्षक, यदि कोई हो, सीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत समाप्त हो गया है। प्रतिवादी-प्रतिवादी, इस प्रकार, यह भी दावा करेंगे कि वे प्रतिकूल कब्जे में हैं, यदि मालिक के रूप में शीर्षक के रंग के तहत सही उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो सभी संबंधितों के ज्ञान के लिए बिना किसी रुकावट के लगातार और इस तरह प्रतिकूल कब्जे के कारण मालिक बन गए हैं। गिरवी रखी गई भूमि को प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा बंधक राशि के भुगतान पर छुड़ाया गया था, जिस पर अपीलकर्ता ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 14 अक्टूबर, 1958 को कब्जे के लिए दायर अपने मुकदमे को खारिज करने के बाद कभी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे 16 दिसंबर, 1959 को खारिज कर दिया गया था।उत्तरदाताओं के अनुसार, यह निर्णय अंतिम है और पार्टियों पर बाध्यकारी है और रेस जुडिकाता के रूप में कार्य करेगा अपीलार्थी-वादी के विरूद्ध। इस प्रकार, उत्तरदाताओं का मामला यह है कि शाम कौर वर्ष 1948 से अपीलकर्ता-वादी को छोड़कर, गंडा सिंह से विरासत में मिली इस संपत्ति को मालिक के रूप में रखती थी। यह भी कहा गया है कि शाम कौर वर्गों में वी शेयर की मालिक थी। पाकिस्तान में नंबर 18 और 20 जबकि गंडा सिंह वर्ग नंबर 19 का मालिक था। शाम कौर और गंडा सिंह के पास पाकिस्तान में जमीन के बराबर क्षेत्र थे। पी. अधिकार सनद शाम कौर के पक्ष में गंडा सिंह के स्वामित्व वाली और उसके कब्जे वाली भूमि के साथ-साथ पाकिस्तान में उसके स्वामित्व और कब्जे वाली भूमि के संबंध में जारी की गई थी। अपीलकर्ता-वादी ने इसे चुनौती दी थी लेकिन सिविल अदालत के समक्ष असफल रहा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कभी भी पुनर्वास अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। इस प्रकार, दावा, भले ही उसका हो, पर कालातीत हैं।

6. पार्टीज़ की दलीलों पर, जैसा कि उपर्युक्त है ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित विवाद्यको को तय किए :

1. क्या वादी गंडा सिंह का दत्तक पुत्र है? OPP
2. क्या वादी और श्रीमती. शाम कौर को 1948 में गंडा सिंह की संपत्ति 1/4 हिस्से के बराबर विरासत में मिली? OPP
3. क्या प्रतिवादी 1 से 5 वारिस हैं Smt. शाम कौर के? OPD
4. क्या उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, खरड़ की अदालत का दिनांक 16 दिसंबर, 1959 का निर्णय रेस जुडिकाता के रूप में कार्य करता है? OPD
5. क्या गंडा सिंह पूरी विवादित प्रॉपर्टी का मालिक हैं?OPP.

6. क्या सूट के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से मूल्यवान है कोर्ट फीस ? OPP
7. क्या पार्टियों को कस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है गोद लेने और उत्तराधिकार के मामले. यदि हाँ, तो क्या रिवाज है ? OPP
8. क्या मुक़दमा समय के भीतर दायर किया है ? OPP.
9. श्रीमती. मृतक शाम कौर के पास मुकदमे में संपत्ति ट्रस्ट के तौर पर थी और वह वादी के लिए बेनामी थी ? OPP.
10. क्या वादी शाम कौर के दत्तक पुत्र के रूप में उत्तराधिकार पाने की हकदार है? OPP.
11. क्या शाम कौर और प्रतिवादी 1 से 5 बन गए प्रतिकूल कब्जे से मालिक ? OPD.
12. क्या प्रतिवादी 1 से 5 ने शाम कौर द्वारा गिरवी रखी गई भूमि को छुड़ाया? और इसका क्या प्रभाव है ? OPD.
13. क्या वादी वाद भूमि की घोषणा या कब्जे का हकदार है ? OPP.
14. राहत।

7. विवाद्यक नं. 1 से 7, 9 और 10 का फैसला अपीलकर्ता-वादी के खिलाफ सब जज द्वितीय श्रेणी, खरड़ द्वारा किया गया। उन्होंने मुद्दा नम्बर 11 को भी प्रतिवादियों के पक्ष में पाया। तदनुसार, उन्होंने अपीलकर्ता-वादी के मुकदमे को लागत सहित खारिज कर दिया।अपीलकर्ता-वादी ने दायर किया वादी ने 30 अप्रैल, 1979 के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे 5 अक्टूबर, 1981 को सब जज खरड़ द्वारा पारित फैसले की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया। अंक संख्या 8 और 11 पर निष्कर्ष उलट दिए गए हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ता-वादी दूसरी अपील में है ।

8. संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मूल मुद्दा जिसके लिए वर्तमान मामले में निर्धारण की आवश्यकता होगी, वह गोद लेने के पहलू से संबंधित होगा जैसा कि वादी-अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है और प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा प्रतिवाद किया गया है। तय किए गए शेष विवाद्यक तदनुसार निर्णय पर निर्भर करेंगे कि अपीलकर्ता अपने गोद लेने को वैध साबित करने में सक्षम था या नहीं। इस गोद लेने को साबित करने के लिए, अपीलकर्ता ने स्वयं, अपने प्राकृतिक पिता गुरबचन सिंह (पीडब्लू1), अमर चंद (पीडब्लू5), हरि सिंह (पीडब्लू6) और नंद सिंह (पीडब्लू8) द्वारा दिए गए मौखिक विवरण पर भरोसा किया है।नीचे

की दोनों अदालतों द्वारा उनके संस्करणों का विश्लेषण और सराहना की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता को गोद लेने को वैध मानने के लिए उक्त संस्करणों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। इसके विपरीत, प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गोद लेने का विरोध करने के लिए दिए गए सबूतों पर प्रकाश डाला है, जैसा कि अपीलकर्ता-वादी ने अनुरोध किया था। नीचे दी गई अदालतों द्वारा लिए गए विचारों को क्रमशः संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा गंभीरता से चुनौती दी गई है और उन्हें नोटिस की आवश्यकता है।

9. गोद लेने के दस्तावेज़ की एक प्रति का संदर्भ रखा गया है, जिसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया था और रिकॉर्ड पर इग्ज़िबिटेड नहीं किया गया था। पहला सवाल यह उठा कि क्या इस दस्तावेज़ को अदालत साक्ष्य के रूप में देख सकती है या नहीं। इसका प्रतिकार करने के लिए, अपीलकर्ता के वकील यह कहकर कानूनी पुनरावृत्ति पर भरोसा करेंगे कि गोद लेने के दस्तावेज के अस्तित्व को उनके द्वारा दायर लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया है और यह साक्ष्य का एक वैध टुकड़ा है जिसे गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया है। इस संबंध में उत्तर में दिए गए कथन इस प्रकार हैं :-

> " गोद लेने का कथित दस्तावेज कागजी लेन-देन था। वास्तव में, गंडा सिंह द्वारा नष्ट किए गए कथित विलेख से पहले या बाद में वादी को कभी भी गोद नहीं लिया गया था और न ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था।"

10. इसे उत्तरदाताओं की ओर से स्वीकारोक्ति कहा गया है और यह आग्रह किया गया है कि इससे पता चलेगा कि (i) गोद लेने के दस्तावेज के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, (II) उसके प्रतिवाद को भी स्वीकार किया जाता है जब यह कहा जाता है कि यह था पर कार्रवाई नहीं की गई. वकील दलील देंगे कि ऐसा तभी आग्रह किया जा सकता है जब किसी ने गोद लेने के दस्तावेज की सामग्री को पढ़ लिया हो। इस प्रकार, उनका तर्क है कि विलेख की सामग्री स्वीकार की जाती है।

11. पहला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी वह यह है कि क्या इस दत्तक ग्रहण विलेख पर विचार किया जा सकता है या नहीं। यह स्वीकार किया गया कि यह

दस्तावेज़ एक चिह्नित दस्तावेज़ है और इसे प्रदर्शित नहीं किया गया था। चिह्नित दस्तावेज़ के संबंध में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय है। अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि गोद लेने के विलेख के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति इस दोष को ठीक कर देगी, इससे अपीलकर्ता को मदद मिलेगी उत्तर से जैसा कि ऊपर संदर्भित और पुन: प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी की ओर से स्वीकारोक्ति कहा जाता है। अन्तवर्स्तु को स्वीकारोक्ति के टोर पर नहीं लिया जा सकता हैं। जो पोर्शन ऊपर संदर्भित और पुन: प्रस्तुत किया गया है, वह अपैरेंट्ली अप्रसंगिक लिया गया हैं ताकि इससे स्वीकारोक्ति बनाया जा सके। क़ानूनी पार्लन्स में स्वीकारोक्ति का मतलब अच्छें से सुबोध हैं और इसपर और तर्क-वितर्क की कोई ज़रूरत नहीं हैं।

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के तहत, स्वीकृति को एक मौखिक या दस्तावेजी बयान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी तथ्य और विवाद्यक या प्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई अनुमान सुझाता है। स्वीकारोक्ति किसी पक्ष या उसके साथ पहचाने जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी हित में कुछ तथ्यों के अस्तित्व की स्वैच्छिक स्वीकृति है जो मामले में किसी विवाद्यक के लिए प्रासंगिक हैं। जब तक स्पष्ट न किया जाए, स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वीकारोक्ति समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।जैसा कहा गया है उसका मूल्य और प्रभाव होने के लिए, एक स्वीकारोक्ति स्पष्ट, निश्चित और सुनिश्चित होनी चाहिए न कि अस्पष्ट, अस्पष्ट या भ्रमित। स्वीकारोक्ति के रूप में कार्य करने के लिए कथन का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। प्रवेश स्वीकृत मामले का निर्णायक सबूत नहीं है, हालांकि यह कुछ परिस्थितियों में विबंधन के रूप में कार्य कर सकता है।(**के. स. स्त्रीनिवासन बनाम यून्यन ओफ़ इंडिया**[1], ये निर्धारित किया गया केस **नाग्गुबै अम्मल और अन्य लोग बनाम ब. शामा राउ और अन्य लोग**[2], एक स्वीकारोक्ति बताए गए मामले की सच्चाई के बारे में निर्णायक नहीं है। उसमें यह केवल साक्ष्य का एक टुकड़ा है, जिससे जुड़ा होने वाला वजन उन परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए जिनके तहत इसे बनाया गया है। इसे गलत या असत्य दिखाया जा सकता है, जब तक कि जिस व्यक्ति को यह बनाया गया था, उसने अपने नुकसान के लिए इस पर कार्रवाई नहीं की है, जब यह विबद्ध के माध्यम से निर्णायक हो सकता है। निर्धारित किया गया कि यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक स्पष्ट और स्पष्ट बयान दिया गया है, जैसे कि जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक यह

---

[1] एआईआर 1958 एससी 419

[2] एआईआर 1956 एस.सी. 593

निर्णायक होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 किसी पक्ष द्वारा अभिवचन में की गई स्वीकारोक्ति और किसी पक्ष द्वारा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित वादपत्र में की गई अन्य स्वीकृतियों और स्वीकारोक्ति के बीच कोई अंतर नहीं करती प्रतीत होती है। हालाँकि, इस तरह की स्वीकारोक्ति को दूसरे मुकदमे में निर्णायक नहीं माना जा सकता है और यह एक पक्ष के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि यह सच नहीं है।(**बसंत सिंह बनाम जानकी सिंह** [3])

13) इस संदर्भ में, आइए देखें कि क्या उत्तर में दिए गए कथित कथन, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, को स्वीकारोक्ति के रूप में लिया जा सकता है या नहीं।रिप्लाई के अन्तवर्स्तु जिसमें कथित दत्तक ग्रहण विलेख एक कागजी लेन-देन था, यह कहने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि यह एक स्वीकृति के बराबर है उत्तरदाताओं द्वारा कि एक गोद लेने का विलेख था। यह निश्चित रूप से जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वीकृति की परिभाषा में फिट नहीं होगा। यह गोद लेने का विलेख, जिसे एक कागजी लेनदेन के रूप में वर्णित किया गया है जैसा कि 'कथित' है।इसे भी समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, अकेले नहीं जैसे किया जा रहा है। जवाब में आगे कहा गया है कि वादी को कभी भी अपनाया नहीं गया और न ही इस तरह का व्यवहार किया गया और इसलिए इस कथित विलेख को गंडा सिंह द्वारा नष्ट कर दिया गया।एकमात्र यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जवाब से यह है कि एक कथित दत्तक ग्रहण विलेख था जो सच्चा नहीं है और नष्ट हो गया था। इसे कैसे एक स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है उत्तरदाताओं के तरफ़ से उर यह कहना कि गोद लेने का वैध विलेख था वास्तव में समझ नहीं आया। वास्तव में जवाब के इस संबंध में पूर्ण कथन के संदर्भ में भी इसकी सराहना की जानी चाहिए। अवलोकन वादपत्र से पता चलता है कि रीति-रिवाजों और समारोहों को करने के बाद वादी को गोद लेने के संबंध में कथन पैरा 5 में दिया गया है वादपत्र के। इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि गंडा सिंह को निस्संतान सही बताया गया लेकिन शेष भाग को गलत बताते हुए इसका उल्लेख किया " वादी को मृतक गंडा सिंह ने कभी गोद नहीं लिया था" । वादी के पैरा 6 में कहा गया है कि गोद लेने के बाद वादी गंडा सिंह के साथ रहता था, जो उसको एक पुत्र की तरह रखता था और वादी गंडा सिंह को पिता की तरह मानता था । अपीलकर्ता-वादी को अपने बेटे के रूप में मानने के लिए शाम कौर के संबंध में भी इसी तरह का दावा किया गया है, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वादी का पालन-पोषण, शिक्षा और विवाह उसके दत्तक पिता (गंडा सिंह) ने किया था। वादी के इस पैरा को फिर से गलत बताया गया है। आगे कहा गया है कि जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई इलाज नहीं था। इस तथ्य का भी खंडन किया गया है कि वादी

---

[3]एआईआर 1967 एस.सी. 341

का पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा या विवाह गंडा सिंह द्वारा किया गया था, बल्कि उत्तर में बताया गया है कि अपीलकर्ता-वादी को गुरबचन सिंह के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है।स्कूल रिकॉर्ड, मतदाता सूची और सेना में जहां वह 1939 से 1941 तक सेवा में थे, वहाँ यह भी कहा गया है कि वादी ने सहकारी समिति, सुखगढ़ से भी ऋण लिया था, जहां उन्होंने खुद को बेटा बताया था, गुरबचन सिंह का। यह भी संदर्भ दिया गया है कि उनके सगे पिता गुरबचन सिंह ने भी इस तथ्य से इनकार किया था कि वादी को गोद लिया गया था। इसके बाद कहा गया है कि "वादी को गंडा सिंह ने कभी गोद नहीं लिया था और न ही उसे अपने बेटे के रूप में माना था। गोद लेने का कथित विलेख सब कागजी कार्यवाही है। वास्तव में वादी को न तो कभी गोद लिया गया था और न ही गंडा सिंह द्वारा नष्ट किए गए कथित कार्य से पहले या बाद में ऐसा व्यवहार किया गया।" इस सन्दर्भ में समग्र रूप से पढ़ने पर लिखित कथन के इस भाग को निश्चित रूप से स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता। सक्षम होने के लिए, एक स्वीकारोक्ति स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए और अस्पष्ट या भ्रमित नहीं होनी चाहिए जो कि वर्तमान मामले में नहीं है।

(14) इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि उत्तरदाता गोद लेने के विलेख के निष्पादन में पक्षकार नहीं हैं। वे उक्त दत्तक ग्रहण विलेख के गवाह भी नहीं हैं। उनके द्वारा गोद लेने के विलेख के संबंध में स्वीकारोक्ति, जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाएगी, भले ही ऊपर कथित और पुनरुत्पादित बयान को प्रतिवादी-प्रतिवादियों की ओर से स्वीकारोक्ति के रूप में लिया गया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, किसी पक्ष द्वारा उसके निष्पादन के सत्यापित दस्तावेज़ को स्वीकार करना उसके खिलाफ इसके निष्पादन का पर्याप्त सबूत होगा, लेकिन अन्यथा ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए जब स्वीकारोक्ति किसी दस्तावेज़ के संबंध में हो जो संबंधित पक्ष द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। धारा 70 अन्यथा धारा 68 का अपवाद है जिसे साबित करने के लिए साक्ष्यांकित गवाह की परीक्षा की आवश्यकता होती है जहाँ एक दस्तावेज़ जिसे कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता का इस प्रकार एक प्रमाणित गवाह की जांच करने से छुटकारा पाया जा सकता है अगर निष्पादक निष्पादन को स्वीकार करता है और अन्य मामलों में नहीं। धारा 68 के प्रावधान के अनुसार, पंजीकृत दस्तावेज़ को साबित करने के लिए साक्ष्यांकित गवाह को बुलाने से तब तक छूट दी जा सकती है जब तक कि निष्पादक द्वारा इसके निष्पादन से इनकार नहीं किया जाता है। दस्तावेज़ के निष्पादन को निष्पादक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, जो उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ यह होगा कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है। ऊपर उल्लिखित कथनों को

निश्चित रूप से 'स्वीकृति' नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, तर्क की इस पंक्ति को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

15. वास्तव में, प्रतिक्रिया से संबंधित पक्षों के रुख पर एक और नज़र डाली जा सकती है, जो उत्तरदाताओं ने इस दस्तावेज़ के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया था। आवेदन के पैरा 1 में, अपीलकर्ता-वादी द्वारा यह दावा किया गया था कि "मृतक गंडा सिंह ने वादी को अपने बेटे के रूप में गोद लिया था और 14 नवंबर, 1936 को एक पंजीकृत गोद लेने का दस्तावेज भी निष्पादित किया था"। जवाब में, उत्तरदाताओं ने इस पैराग्राफ को गलत बताया और इसलिए इनकार कर दिया और फिर आगे कहा, "वादी को गंडा सिंह ने कभी गोद नहीं लिया था। गोद लेने का कथित विलेख वादी के पिता गुरबचन सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था, जब वह (गंदा सिंह) जब उसे पता चला कि यह गोद लेने का एक विलेख है, जो कभी हुआ ही नहीं, तो उसने उसे नष्ट कर दिया। उसने कभी भी गोद लेने का कोई विलेख निष्पादित नहीं किया या यदि किया भी था, तो अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गुरबचन सिंह से उस पर हस्ताक्षर करवा लिए। " यह दायर किए गए उत्तर में प्रतिवादी-प्रतिवादियों के रुख को स्पष्ट करेगा जहां इस विलेख को गोद लेने के कथित विलेख के रूप में कहा गया था और इसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और कुछ पंक्तियों को अलग से यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं लिया जा सकता है कि प्रतिवादी- प्रतिवादियों ने गोद लेने के विलेख को स्वीकार कर लिया है। अज्ञानता में या दबाव में किया गया प्रवेश, प्रवेश के निर्माता को बाध्य नहीं कर सकता। (**श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय**[4] देखें) । जैसा कि पहले ही देखा गया है, प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा इस गोद लेने के विलेख की कथित स्वीकृति यह बिल्कुल भी स्वीकारोक्ति नहीं है और न ही इसे उन उत्तरदाताओं के खिलाफ लिया जा सकता है, जो इस गोद लेने के दस्तावेज के पक्ष में नहीं थे, ताकि इसके निष्पादन के संबंध में ऐसी कोई स्वीकारोक्ति की जा सके। यह कहने के लिए अपीलकर्ता के वकील द्वारा अपनाए गए तर्क की पंक्ति यह दस्तावेज़ होना आवश्यक है इस प्रकार की गई स्वीकृति के आधार पर विचार किया गया स्वीकार नहीं किया जा सकता और अस्वीकार किया जाना तय है।

16. यद्यपि दत्तक ग्रहण विलेख को नहीं माना जा सकता है पर स्वीकार किया गया लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने इसे वैसे ही द्वितीयक साक्ष्य के तोर पर ही कन्सिडर किया।इस आधार पर द्वितीयक साक्ष्य कि इसका अस्तित्व स्थापित हो चुका था और विनाश स्वीकार कर

---

[4] एआईआर 1976 एस.सी.376

लिया गया था। ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण को निचली अपीलीय अदालत या वर्तमान दूसरी अपील में किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।

17. कार्यवाही के रिकॉर्ड से पता चलेगा कि गोद लेने के विलेख की प्रमाणित प्रति को 'ए' चिह्न के रूप में रखा गया था और मूल विलेख के अस्तित्व और हानि के प्रमाण पर प्रदर्शित किया जाना था। रिकॉर्ड का संदर्भ देने के बाद ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी मूल गोद लेने के दस्तावेज के नुकसान को स्थापित करने में सक्षम था और इस संबंध में प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब का संदर्भ दिया गया कि गोद लेने का दस्तावेज नष्ट हो गया था, गंडा सिंह द्वारा। तदनुसार यह देखा गया कि मूल का अस्तित्व स्थापित हो गया था और इसलिए प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बयान से भी दस्तावेज की हानि भी साबित हुई और इस प्रकार यह माना गया कि इस दस्तावेज़ को यद्यपि चिह्नित के रूप में रखा गया है, इसे द्वितीयक के रूप में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। प्रमाण। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई तर्क नहीं उठाया गया। केवल दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का मतलब यह नहीं होगा कि इसके अन्तवर्स्तु भी साबित हो जाएँगे। यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि इस दस्तावेज़ में गोद लेने का सच्चा विवरण है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। केवल एक दस्तावेज़ बनाने या उसे प्रदर्शित करने से किसी पक्ष को उसके अन्तवर्स्तु को साबित करने की छूट नहीं मिल जाएगी। किसी दस्तावेज़ पर केवल हस्ताक्षर के प्रमाण से उसमें दी गई सामग्री या खाते की सच्चाई का प्रमाण नहीं मिल जाएगा। यहां हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी यह साबित करने के लिए साबित नहीं हुआ कि जैसे कि दस्तावेज़ साबित हुए होंगे। प्राथमिक होते हुए भी दस्तावेज़ को विभिन्न तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है। आमतौर पर लिखावट और हस्ताक्षर को किसी ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाकर साबित किया जा सकता है, जिसने इसे लिखा है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं या इसे लिखते या हस्ताक्षर करते देखा है या जो अपनी राय व्यक्त करने के लिए योग्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के संदर्भ में लिखावट या हस्ताक्षर के संबंध में या साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ के रूप में। इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत लिखावट की तुलना करके या उस व्यक्ति की स्वीकृति से साबित किया जा सकता है जिसके खिलाफ यह प्रस्तुत किया गया है। सभी मामलों में अकेले हस्ताक्षर किसी दस्तावेज़ को कानूनी वैधता देने के उद्देश्य से उसका निष्पादन पूरा नहीं करता है। किसी दस्तावेज़ को लिखने या हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की लिखावट या हस्ताक्षर को किसी अन्य के माध्यम से साबित करने मात्र से गवाह, उक्त दस्तावेज़ के अन्तवर्स्तु या सत्यता को साबित नहीं किया जा सकता है।

18. आइए अब देखते हैं कि यह दत्तक विलेखसिद्ध हुआ है या नहीं। निचली अदालतों ने इस प्रदर्शित को विचार से हटाने के लिए इस संबंध में ठोस और वैध कारण दिए हैं। यह मानने के लिए कई कारण देखे गए कि गोद लेने के दस्तावेज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। गोद लेने का दस्तावेज़ 14 नवंबर, 1936 को दिनांकित है। जिस प्रति पर 'ए' अंकित है, उससे पता चलता है कि इसमें एक पाठ है कि गंडा सिंह 70 वर्ष का था और इस प्रकार उसके कोई बच्चा होने की कोई संभावना नहीं थी और वह निःसंतान था। अपने सगे भाई बाबू हरणम सिंह (मृतक) की बेटी करम कौर को अपनी बेटी की तरह पाला था और उसकी शादी उन्होंने जिला लुधियाना के बाबू गुरबचन सिंह से की थी। आगे उल्लेख किया गया है कि वह गुरबचन सिंह और करम कौर को अपने दामाद और बेटी के रूप में रख रहे थे और उनके घर पर उनके दो बेटे पैदा हुए थे और उन्होंने पंचायत बारादरी की उपस्थिति में शमशेर सिंह को अपने बेटे के रूप में गोद लिया था, शमशेर सिंह (अपीलकर्ता-वादी) के माता-पिता की सहमति से । दस्तावेज़ में इस बात का भी ज़िक्र है कि उन्होंने शमशेर सिंह को गोद लिया था और उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसकी शादी की और उसे शिक्षा दी और उनके बीच पिता और पुत्र का व्यवहार था। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि वह, उनकी मां और पिता गुरबचन सिंह उनकी सेवा कर रहे थे और शमशेर सिंह अपने सगे बेटे की तरह उनकी संपत्ति में सभी अधिकारों के हकदार होंगे और उनकी मृत्यु के बाद वह उनके सगे बेटे के रूप में उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार, दस्तावेज़ में बताया गया है कि शमशेर सिंह की शादी 14 नवंबर, 1936 से पहले हुई थी और उनकी मां करम कौर की शादी गंडा सिंह ने गुरबचन सिंह के साथ की थी। दस्तावेज़ में यह भी दर्ज है कि गुरबचन सिंह और करम कौर गंडा सिंह के साथ उसके घर पर रह रहे थे और वादी शमशेर सिंह को उसके जन्म के दिन से ही गंडा सिंह ने गोद ले लिया था। हरनाम सिंह को गंडा सिंह के सगे भाई के रूप में दर्ज किया गया हैं ।

19. दत्तक-ग्रहण विलेख में अधिकांश विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत हैं । इस दस्तावेज़ में पाठन भी रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत हैं । हरनाम सिंह के रूप में दर्ज है गंडा सिंह का भाई, जबकि वह उसका भाई नहीं है। दरअसल, हरनाम सिंह हैं महज़ एक संपार्श्विक हैं । गुरबचन सिंह (पीडब्लू-1), के रूप में उपस्थित हुए साक्षी ने कहा है कि करम कौर के साथ उसकी शादी उसके ससुर हरनाम सिंह ने कराई थी। यह फिर से गोद लेने के दस्तावेज़ में दिए गए कथनों के विपरीत है कि पीडब्लू1 की शादी गंडा सिंह द्वारा की गई थी। दरअसल हरनाम सिंह की मृत्यु 1920-22 से एक साल पहले ही हो गई थी। हरनाम सिंह की संपत्ति उनके सगे भाई अमर सिंह को विरासत में मिली थी। अपीलकर्ता-वादी का जन्म वर्ष 1919 में हुआ था। उनके पिता गुरबचन सिंह का विवाह 1919 से पहले यानी हरनाम सिंह के जीवनकाल के दौरान हुआ था, इस प्रकार, हरनाम

सिंह ने अपनी बेटी से शादी कर ली होती और गंडा के लिए कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता जहाँ गंडा सिंह ने करम कौर की शादी गुरबचन सिंह से कराई। वर्ष 1936 में गंडा सिंह की उम्र 70 वर्ष बताई गई है। जाहिर है, गोद लेने का समय वर्ष 1920 (अपीलकर्ता-वादी के जन्म के तुरंत बाद) था, गंडा सिंह उस समय 50-52 वर्ष के थे। क्या वह उस उम्र में बच्चा गोद लेने के बारे में सोचेगा जब वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी के गर्भ से किसी बच्चे के जन्म की उम्मीद कर सकता है? वह निश्चित रूप से इतनी उम्र का नहीं था कि बच्चा पैदा करने की उम्मीद खो दे। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 1955 से पहले गंडा सिंह के लिए एक से अधिक शादी करने में कोई बाधा नहीं थी। तो क्या वह किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है? जैसा कि निवेदन किया गया है, यह पहलू निश्चित रूप से गोद लेने के तथ्य के संबंध में एक और संदेह उत्पन्न करेगा। यह भी रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि गुरबचन सिंह का करम कौर के साथ विवाह गंडा सिंह द्वारा किया गया था। बल्कि यह रिकॉर्ड में आया है कि यह हरनाम सिंह द्वारा किया गया था जैसा कि गुरबचन सिंह (पीडब्लू1) ने कहा था। करम कौर गंडा सिंह की असली बेटी नहीं है और न ही उसे गंडा सिंह ने अपनी बेटी की तरह पाला था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह भी नहीं दिखाते कि गुरबचन सिंह और करम कौर कभी भी गंडा सिंह के साथ सुखगढ़ गांव में रह रहे थे ।

20. अपीलकर्ता-वादी के पक्ष के अनुसार, उसके जन्म के तुरंत बाद आवश्यक समारोह करके गंडा सिंह ने उसे गोद ले लिया था। इसके समर्थन में, उन्होंने कुछ गवाहों के मौखिक विवरण को रिकॉर्ड पर पेश किया है। अपीलकर्ता स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित हुआ है कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक की आयु प्राप्त करने पर उसने स्वयं को वैसा ही पाया गंडा सिंह का दत्तक पुत्र। उन्होंने कहा है कि वह संबोधन करते थे गंडा सिंह उनके पिता और शाम कौर उनकी मां हैं। गुरबचन सिंह, अपीलकर्ता के स्वाभाविक पिता (पीडब्लू-1), समर्थन में उपस्थित हुए हैं अपीलकर्ता का संस्करण के । उन्होंने कहा है हैं कि उसने अपीलकर्ता को गंडा सिंह को जब गोद दिया था जब वह 5-6 महीने का था। पीडब्ल्यू -1 के अनुसार, गांव सुखगढ़ और आसपास के पंचायत गाँव गंडा सिंह के घर में एकत्र हुए थे, जब अपीलकर्ता शमशेर सिंह को गंडा सिंह की गोद में रखा गया था, और तब यह घोषणा की थी कि उक्त तिथि से शमशेर सिंह उनके पुत्र होंगे। उनके साक्ष्य यह है कि गांडा सिंह और उसकी पत्नी ने अपीलकर्ता शमशेर सिंह के सिर को किस्स किया और यह घोषणा कि आज के बाद उनका बेटा होगा । पीडब्लू -1 द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता-वादी इसके बाद गांडा सिंह और शाम कौर के साथ रहे और उनकी शादी हुई गाँव करोरन में, गंडा सिंह के द्वारा। इस गवाह ने भी खुलासा किया है उस वर्ष 1936 में, गांडा सिंह द्वारा

कॉपी किए गए एक दत्तक विलेख को निष्पादित किया गया था जिनमें से 'ए' चिह्न है। इस विलेख को देवी डायल और साहिब दास द्वारा स्पष्ट रूप से सत्यापित किया गया था , दोनों की मृत्यु हो गई थी और वे उपलब्ध नहीं थे। पदच्युत, यह भी दावा किया जाता है कि इस विलेख को उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया गया था और गांडा सिंह द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि गंडा सिंह, इस गवाह के अनुसार, अपीलकर्ता-वादी को लाया था। वह उसे सरगोधा जिले में पाकिस्तान चाक नंबर 130 पर भी ले गया था, साथ में शाम कौर भी थी। गंदा सिंह को , अमर सिंह की मृत्यु के बाद, अमर सिंह से संबंधित संपत्ति विरासत में मिली, जिसका वह स्वामित्व था पाकिस्तान में। यह इस गवाह के सबूत में है कि अपीलकर्ता-वादी की गंडा सिंह ने पाकिस्तान जाने से पहले सुखगढ़ गांव में शादी की।

21. स्थापित मामले के समर्थन में अन्य गवाहों की जांच की गई अपीलकर्ता द्वारा जैसे कि अमर चंद (PW-5), हरि सिंह (PW-6) और नंद सिंह (PW-8) थे। अमर चंद (PW-5) ने कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता को गंडा सिंह के साथ रहते हुए देखा है और गंडा सिंह और शाम कौर उनके बेटे के रूप में रहते हुए देखा। हरि सिंह (PW-6) अमर के असली चाचा हैं और कहा कि वह गंडा सिंह के परिवार के पंडित थे और उनको को पता था कि अपीलकर्ता-वादी गंडा सिंह का एक दत्तक पुत्र था। पीडब्लू -6 के अनुसार, अपीलकर्ता को लगभग 50 साल पहले अपनाया गया था और यह गवाह गोद लेने के समय उपस्थित होने का दावा करता है। उसके पास है यह भी सबूत दिया कि अपीलकर्ता के प्राकृतिक पिता, अर्थात् गुरबाचन सिंह (PW-1) ने अपीलकर्ता शमशेर सिंह को गंडा सिंह की गोद में डाल दिया था , तब शमशेर सिंह के माथे चूमा था और इस तरह ट्रीट किया जैसे कि अपने बेटे के रूप में। उस समय, अपीलकर्ता की प्राकृतिक माँ भी मौजूद थी और प्राकृतिक पिता और प्राकृतिक माँ दोनों ने घोषणा की थी कि उनकी अपीलकर्ता शमशेर सिंह के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। अमर चंद (पीडब्लू-5) ने यह भी सबूत दिया कि अपीलकर्ता गंडा सिंह का दत्तक पुत्र है। उसने अपनी उम्र 50 साल बताई। अदालतों ने उनके कथन पर इस आधार पर संदेह किया कि उनका उद्देश्य अपीलकर्ता के समर्थन में और प्रतिवादी-प्रतिवादियों के हितों के विरुद्ध साक्ष्य देना था। वास्तव में, वह जमीन का गिरवीदार था और उसके पक्ष में गिरवी ज़मीन को प्रतिवादी-प्रतिवादियों की मां बसंत कौर और बलजीत कौर ने छुड़ा लिया था। इस प्रकार PW-5 को भूमि का कब्ज़ा छोड़ना पड़ा और इस प्रकार उत्तरदाताओं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए रुचि और मकसद पाया गया और अपीलकर्ता-वादी के पक्ष में। हरि सिंह (PW-6) ने अपनी उम्र 65 वर्ष बताई, 3 सितंबर, 1977 को। इस आधार पर, अदालत ने यह नोट किया कि वर्ष 1920 में, जब कथित तौर पर यह गोद लिया गया था, तब उसकी उम्र 8-10 वर्ष होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता शमशेर सिंह का जन्म 19 नवंबर, 1919 को हुआ था और उनके प्राकृतिक पिता के अनुसार जब वह 5-6 महीने के थे, तब उन्हें गोद दे दिया गया था। इस प्रकार, यह गोद लेने का समय वर्ष 1920 में था, जब पीडब्लू-6 की उम्र 8-10 वर्ष होगी। कोर्ट की इस टिप्पणी में दम है कि 8-10 साल का व्यक्ति शायद ही 55-60 साल पहले घटी घटनाओं को याद कर पाएगा। गवाह के पास विवेक की उम्र नहीं होगी जहां वह गोद लेने के समारोह की बारीकियों को समझ सके और जिस तरह से उसने गवाही दी है, इतने लंबे समय के बाद उसका साक्ष्य दे सके। देवी डायल, साहिब दास, दसोंधा सिंह और अन्य को उपस्थित बताया गया था लेकिन इनमें से दो की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि वे मृत हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस विलेख को कानून के अनुसार पंजीकृत किया जाना आवश्यक था। यदि ऐसा है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 70 लागू होंगी। गोद लेने के विलेख के निष्पादन को स्वीकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार अपीलकर्ता को गवाहों की अनुपस्थिति में इस दस्तावेज़ को साबित करना आवश्यक था। पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 भी ग्राम मौली बैदवान से संबंधित पाए गए, न कि ग्राम सुखगढ़ से। उन्होंने यह नहीं बताया कि गंडा सिंह के गांव से न होने के बावजूद उन्हें कैसे बुलाया गया। वास्तव में, नंद सिंह (पीडब्लू-8) को छोड़कर सुखगढ़ गांव से किसी को भी गोद लेने के सबूत के लिए पेश नहीं किया गया है। पीडब्लू-8 ने गोद लेने के समय किए गए समारोहों के संबंध में साक्ष्य दिए हैं। इस गवाह ने खुद दावा किया है कि गोद लेने के समय वह 15-16 साल का था जबकि उसके पिता 40-50 साल के थे।वह सैनी हैं जाति से । गंडा सिंह जाट था। यह स्वीकार करना कठिन है कि सैनी जाति के किसी व्यक्ति को, वह भी 15-16 वर्ष की आयु का, गोद लेने की रस्म देखने के लिए बुलाया जाएगा और किसी जाट को समारोह में आने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

Pg 19

गोद लेने को साबित करने के लिए गुरबचन सिंह (पीडब्लू-1) के भाईचारे से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने दलील दी कि गोद लेने के समर्थन में अपीलकर्ता-वादी की ओर से दिए गए सबूतों का उचित विश्लेषण किया गया और वैध और उचित कारणों से खारिज कर दिया गया। इन गवाहों के बयानों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया कि अपीलकर्ता-वादी का गोद लेना सिद्ध या स्थापित है। मुझे इस नियमित दूसरी अपील में ऐसे गवाहों के साक्ष्य की अनदेखी करते हुए नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दिए गए इस तर्क में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं मिला। केवल इसलिए कि साक्ष्य के आधार पर एक अलग दृष्टिकोण भी संभव हो सकता है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, कानून के तहत उस साक्ष्य की उचित सराहना पर दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता

है। यह इस पृष्ठभूमि में और भी अधिक है कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों के पास यह दिखाने के लिए अधिक ठोस सबूत हैं कि गोद लेने को वास्तव में कभी निष्पादित नहीं किया गया था या बाद में उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। जैसा कि **इंदर सिंह बनाम गुरदयाल सिंह**[5] में अभिनिर्धारित है, गोद लेने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में गोद लेने की घोषणा और फिर नियुक्त उत्तराधिकारी के साथ बेटे के रूप में सामान्य व्यवहार शामिल है।निर्धारित किया गया कि मात्र घोषणा या यहां तक कि पूर्ववर्ती के बिना गोद लेने के विलेख का निष्पादन अपर्याप्त है। यदि वास्तव में गंडा सिंह ने अपीलकर्ता-वादी को गोद लिया था, तो यह स्कूल के रिकॉर्ड में परिलक्षित होना तय था, जहां शमशेर सिंह को दाखिला मिला था। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में, उन्हें गुरबचन सिंह के बेटे के रूप में दिखाया गया है, न कि गंडा सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में। खालसा हाई स्कूल, सोहाना द्वारा जारी यह प्रमाणपत्र प्रदर्शित D2 के रूप में रिकॉर्ड में है। वादी को 26 फरवरी, 1936 को स्कूल में दाखिला दिया गया था और 31 मार्च, 1936 को वापस ले लिया गया था। इसी तरह, वादी को 1 दिसंबर, 1927 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, रायपुर कलां में दाखिला दिया गया था और 31 मार्च, 1930 को वापस ले लिया गया था, जहां उसे फिर से था गुरबचन सिंह के बेटे के रूप में दिखाया गया है। महत्व का एक और तथ्य, जैसा कि देखा जा सकता है, वह यह है कि अपीलकर्ता-वादी को गंडा सिंह ने प्राइमरी स्कूल, रायपुर कलां, जिला रोपड़ में दाखिला दिलाया था, जिसने उसे अपना 'धोटा' बताया था। अपीलकर्ता- वादी सेना सेवा में शामिल हो गया था जहां वह सेवा में बना रहा 2-3 साल के लिए और वर्ष 1945 में डिस्चार्ज दे दिया गया। सेना के रिकॉर्ड में, अपीलार्थी-वादी के पिता का नाम गुरबचन बताया गया है । इसी तरह, वह ग्राम सुखगढ़ की सहकारी समिति के सदस्य बन गए जहाँ उन्होंने फिर से अपने पिता का नाम गुरबचन सिंह रखा। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि न तो वर्ष 1920 में और न ही 1936 के बाद, अपीलकर्ता-वादी को गंडा सिंह ने कभी भी अपने दत्तक पुत्र के रूप में माना था। यहां तक कि अगर कुछ गोद लिया गया था या समारोह किया गया था, तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी जैसा कि अपीलकर्ता-वादी और स्वर्गीय गंडा सिंह दोनों के बाद के व्यवहार से देखा जा सकता है। उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए साक्ष्य अधिक ठोस हैं और पुराने दस्तावेजों के रूप में हैं, जबकि अपीलकर्ता उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए मौखिक विवरण से समर्थन मांगेगा, जिनके साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं हैं। अत: यह साक्ष्य अपर्याप्त है।

22. जब अपीलकर्ता-वादी को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि स्कूल और अन्य अभिलेखों में उसके पिता का नाम गुरबचन सिंह बताया गया है, तो उसे बचाव पक्ष के गवाहों को

---

[5] एआईआर 1967 एस.सी. 119

यह सुझाव देकर अपना रुख थोड़ा बदलते हुए देखा गया कि उसे गोद लिया गया था, वर्ष 1936 में गंडा सिंह द्वारा। इससे उनका और उनके रुख का पर्दाफाश हो जाएगा और उसमें झूठ सामने आ जाएगा। इससे पहले के सबूत यह दिखाने के लिए पेश किए गए थे कि गोद लेना जन्म के तुरंत बाद हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था। इस तथ्य को समझाने के लिए, अपीलकर्ता ने यह कहकर एक और झूठ पेश किया कि उसे 1936 में गोद लिया गया था। इससे उसके पूरे वर्ज़न का पर्दाफाश हो गया कि वह एक झूठ का सहारा ले रहा था एक के बाद एक ।

23. उत्तरदाताओं ने एक तामलिकनामा (प्रदर्शित D1) पर भरोसा किया जिसे वर्ष 1943 में निष्पादित किया गया था। यह तामलिक श्रीमती शाम कौर के पक्ष में है जो कि गंदा सिंह की पत्नी हैं जिससे गंडा सिंह ने इस आधे हिस्से की आय का आनंद लेने के लिए वर्ग संख्या 18 और 19 का आधा हिस्सा दिया, जिससे उसे पट्टे पर देने और पट्टे के पैसे का आनंद लेने का अधिकार मिला, लेकिन बेचने या बेचने का अधिकार नहीं था। वही तामलिक में आगे उल्लेख किया गया है कि यदि वह गंडा सिंह को पहले ही मर जाती है, तो स्वामित्व वापस उसके (यानी गंडा सिंह) के पास वापस आ जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद, यह उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसे उसके द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा उचित रूप से आग्रह किया गया है कि यदि गंडा सिंह ने वैध रूप से शमशेर सिंह को गोद लिया था, तो उन्हें तामलिक में यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि उनकी संपत्ति उनके द्वारा नामित किसी भी उत्तराधिकारी के पास जाएगी और वह आसानी से ऐसा उसमें दर्ज करवा सकते थे कि यह उसके दत्तक पुत्र को मिलेगा। यह दूसरा कारक हैं जो निश्चित रूप से गोद लेने पर फिर से संदेह पैदा करेगा, अपीलकर्ता-वादी द्वारा विलेख पर। अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, इस तामलिकनामा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कोई संकेत नहीं देगा कि शमशेर सिंह को दत्तक पुत्र के रूप में नहीं माना गया था। वकील समझाएंगे कि गंडा सिंह ने तामलिकनामा में अपनी पत्नी को यह अधिकार देने में सुरक्षित खेला था और उस कथन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है जिसमें गंडा सिंह ने उल्लेख किया था कि संपत्ति उसके नामांकित उत्तराधिकारी को जाएगी। वकील ने इसे अनुमानात्मक और अस्थिर बताते हुए इस संबंध में निष्कर्ष पर आपत्ति जतायी थी। मेरे विचार में, इसे पूर्णतः अनुमानात्मक निष्कर्ष के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसे अधिक उचित रूप से अनुमानात्मक खोज कहा जा सकता है। वास्तव में इस तथ्य से निश्चित रूप से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि गंडा सिंह अपीलकर्ता को अपने दत्तक पुत्र के रूप में नहीं मान रहा होगा। यदि वह अपीलकर्ता को अपना दत्तक पुत्र मान रहा होता, तो उससे अपने तामलिकनामा में यह लिखने की अपेक्षा की जा सकती थी कि संपत्ति उसके दत्तक पुत्र को मिलेगी

और यह दर्ज नहीं किया होगा कि यह उसके द्वारा नामांकित किए जाने वाले उत्तराधिकारी को जाएगी। इससे यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि गंडा सिंह ने शमशेर सिंह अपीलकर्ता को अपने दत्तक पुत्र के रूप में नहीं माना। इस संबंध में निचली न्यायालय की ओर से ऐसा अनुमान लगाने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। यह कोई अनुमान नहीं है बल्कि एक अनुमान है जो साक्ष्यों के आधार पर निकाला जा सकता है। इस निष्कर्ष को अनुमानात्मक कहा जा सकता है यदि निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। जैसा कि किया जाता है, निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री और साक्ष्य रिकॉर्ड पर हैं। इस प्रकार, यह अनुमान संभव है और सही ढंग से निकाला गया है।

24. रिकॉर्ड पर एक और बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध है जो अपीलकर्ता-वादी के मामले को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। गंडा सिंह, जिनकी मृत्यु वर्ष 1948 में हुई थी, के पास चक नंबर 130, जिला सरगोधा (पाकिस्तान) में जमीन थी। उनकी पत्नी शाम कौर के पास भी जिला सरगोधा में चक संख्या 130 में जमीन थी। जमीन, जो गंडा सिंह के नाम पर थी, संरक्षक द्वारा शाम कौर और शमशेर सिंह को आवंटित की जानी थी, यदि वास्तव में शमशेर सिंह गंडा सिंह का दत्तक पुत्र था। इसके बदले गंडा सिंह के नाम की पूरी जमीन आवंटित कर दी गई उनकी पत्नी शाम कौर को। इसके बाद अपीलकर्ता-वादी ने मुकदमा दायर किया वर्ष 1958 में , ज़मीन के क़ब्ज़े के लिए जो की हैं आधा हिस्सा जो गंडा सिंह को और उसके बाद शाम कौर को आवंटित किया गया। इस मुकदमे में, अपीलकर्ता- वादी ने आरोप लगाया था कि वह गंडा सिंह का दत्तक पुत्र था और इसलिए गंडा सिंह की ज़मीन उसे और शाम कौर को बराबर हिस्से में आवंटित की जानी चाहिए थी। इस संबंध में वादपत्र की प्रति प्रदर्शित D4 के रूप में रिकॉर्ड में है। शाम कौर ने इस मुकदमे में एक लिखित कथन दायर किया जो प्रदर्शित D3 के रूप में भी रिकॉर्ड में है। यह लिखित कथन शाम कौर ने अपने अटर्नी गुरबचन सिंह के माध्यम से दायर किया था, जो कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता-वादी शमशेर सिंह के प्राकृतिक पिता थे। इस लिखित कथन में शमशेर सिंह के गोद लेने या गंडा सिंह के दत्तक पुत्र होने की बात से इनकार किया गया है। इस प्रकार, शमशेर सिंह के प्राकृतिक पिता ने शाम कौर की ओर से रिकॉर्ड पर एक लिखित कथन दर्ज किया है कि वादी शमशेर सिंह गंडा सिंह का दत्तक पुत्र नहीं था। यह भी उल्लेख किया गया है कि गंडा सिंह करम कौर के बेटे शमशेर सिंह को गोद नहीं ले सकता था क्योंकि गंडा सिंह कानूनी तौर पर करम कौर से शादी नहीं कर सकता था, वह गंडा सिंह के चचेरे भाई हरनाम सिंह की बेटी थी। इस प्रकार, यह कहा गया है कि गंडा सिंह करम कौर के साथ अपने संबंधों के कारण शमशेर सिंह को कानूनी रूप से पेश नहीं कर सका। वादी द्वारा दायर इस मुकदमे को सब जज प्रथम श्रेणी,

खरड़ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित था। फिर भी, शमशेर सिंह ने कभी भी उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने या अन्यथा पुनर्वास अधिकारियों के समक्ष गंडा सिंह के पास मौजूद भूमि के आधे हिस्से का दावा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और जो शाम कौर को आवंटित की गई थी। यदि वास्तव में शमशेर सिंह को गंडा सिंह ने एक बेटे के रूप में गोद लिया था, तो वह अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य था, जो उसने नहीं किया और तदनुसार यह तथ्य उसकी उस दलील के खिलाफ खड़ा होगा जो उसने वर्तमान मुकदमे में उठाई है। इस तथ्य को फिर भी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि वास्तव में शमशेर सिंह को गंडा सिंह ने गोद लिया था, तो क्या उसके प्राकृतिक पिता गुरबचन सिंह यह कहने के लिए लिखित कथन दायर करेंगे कि वह दत्तक पुत्र नहीं था? यह वर्ष 1936 के गोद लेने या विलेख के बहुत बाद वर्ष 1958 में हुआ था।

25. गुरबचन सिंह अपनी ओर से इस स्वीकारोक्ति को कैसे समझाएंगे? यह स्वीकारोक्ति अपेक्षाकृत स्पष्ट है। उनके साक्ष्य जो अब वर्तमान मुकदमे में यह कहते हैं कि शमशेर सिंह को गंडा सिंह ने गोद लिया था, वर्ष 1958 में दायर पहले के मुकदमे में उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के विपरीत है। किसी भी दर पर, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है जैसा कि उसने चुना है, वह निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए विश्वसनीय गवाह नहीं है जैसे कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग रुख अपनाना। वास्तव में, यह स्वीकारोक्ति की गई गुरबचन सिंह द्वारा , उस रिकॉर्ड के अनुरूप है जहां अपीलकर्ता को जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी अभिलेखों में उनका वर्णन उनके पुत्र के रूप में किया गया है। उन्होंने अब अपना संस्करण बदल दिया है जो कि उनके प्राकृतिक पुत्र के पक्ष में है। गुरबचन सिंह के लिए इस विरोधाभास की व्याख्या करना संभव नहीं है। वह अपनी ओर से किसी अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता। वर्ष 1951 में बलजीत कौर और बसंत कौर द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे में इस गवाह का संस्करण फिर से विरोधाभासी है। इस मुकदमे में, शाम कौर ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसके पति गंडा सिंह ने शमशेर सिंह को गोद लिया था। इस तथ्य को अपीलकर्ता के वकील ने भी उजागर किया है। हरनाम सिंह की दोनों बेटियों बलजीत कौर और बसंत कौर ने शमशेर सिंह और शाम कौर के खिलाफ जमीन पर कब्जे के लिए यह मुकदमा दायर किया था। शाम कौर और शमशेर सिंह द्वारा दायर एक संयुक्त लिखित कथन में, यह दलील दी गई कि शमशेर सिंह गंडा सिंह का दत्तक पुत्र था और गंडा सिंह की मृत्यु पर, वे दोनों संपत्ति विरासत के हकदार हैं। निचली अदालतों ने शाम कौर द्वारा की गई इस तथाकथित स्वीकारोक्ति को गुरबचन सिंह और शमशेर सिंह द्वारा अनुचित प्रभाव डालकर प्राप्त किया गया पाया है। इस पहलू को विचार से पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देखा गया है कि गुरबचन सिंह, शाम कौर के वकील थे

और यह स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से गुरबचन सिंह या शमशेर सिंह द्वारा उस अजीब स्थिति और परिस्थितियों के कारण प्राप्त किया गया था जिसमें शाम कौर को बलजीत कौर और बसंत कौर द्वारा दायर मुकदमे में रखा गया था। यह शमशेर सिंह और शाम कौर द्वारा दायर एक संयुक्त लिखित कथन में भी यह स्वीकारोक्ति है। शाम कौर को 1958 में अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए बाद के मुकदमे में इस स्वीकारोक्ति को समझाने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपीलकर्ता के प्राकृतिक पिता के माध्यम से गोद लेने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार, यह स्वीकारोक्ति अधिक विश्वसनीयता के योग्य नहीं होगी और इसका कोई अधिक कानूनी मूल्य नहीं होगा। इसके अलावा इसे किसी मजबूरी या दबाव के तहत बनाया गया यह बताया जा सकता है। इसके बाद, उन्हीं गुरबचन सिंह ने वर्ष 1958 में अपने ही बेटे शमशेर सिंह द्वारा दायर एक मुकदमे में लिखित कथन दाखिल करते हुए गोद लेने के पहलू से इनकार कर दिया था। गुरबचन सिंह तब आसानी से कह सकते थे कि शमशेर सिंह दत्तक पुत्र हैं, जो शाम कौर का रुख भी था, वर्ष 1951 में दायर इस मुकदमे में । अदालतों ने साक्ष्य के इस टुकड़े को एक स्वीकारोक्ति के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया था, जो कि गलत तरीके से किया गया था, इसके अलावा यह एक संयुक्त स्वीकारोक्ति भी थी और ऐसी स्वीकारोक्ति नहीं थी जो विशेष रूप से शाम कौर द्वारा की गई थी। यह स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से गुरबचन सिंह के माध्यम से शाम कौर के बाद के आचरण से स्पष्ट होती है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि स्वीकारोक्ति इसमें बताए गए मामले की सच्चाई के बारे में निर्णायक नहीं है, हालांकि यह कुछ परिस्थितियों में विबंध के रूप में कार्य कर सकता है। स्वीकारोक्ति को दबाव में या किसी गलत धारणा पर किया गया प्जा सकता है। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि गोद लेने का काम गंडा सिंह ने किया था, न कि शाम कौर ने। शमशेर सिंह को गोद लेने के तथ्य के बारे में गंडा सिंह द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई है और न ही इसे रिकॉर्ड में लाया गया है। रिकॉर्ड यह दिखाएगा कि गंडा सिंह ने गोद लेने से इनकार कर दिया था। जब उन्होंने अपीलकर्ता को स्कूल में दाखिला दिलाया तो उन्होंने उसे अपना 'धोता' कहा। इस प्रकार, शमशेर सिंह को गोद लेने के बाद का रिकॉर्ड और जिसे ऊपर संदर्भित किया गया था, जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और सेना सेवा में रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से गुरबचन सिंह द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के अनुरूप होगा, जिसमें उन्होंने इससे इनकार किया था की शमशेर सिंह, उनका प्राकृतिक पुत्र, गंडा सिंह और शाम कौर का दत्तक पुत्र था। गुरबचन सिंह, वर्तमान मुकदमे में पीडब्लू-1 के रूप में पेश होते समय इस तथ्य का सामना कर रहे थे और इस संबंध में उनके संस्करण का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। पीडब्लू-1 ने गवाही दी कि वह यह नहीं कह सकता कि शमशेर सिंह को कभी गंडा सिंह ने दत्तक पुत्र के रूप में माना था या नहीं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि शाम कौर के पूछने पर उन्होंने सिविल सूट नंबर 3, शमशेर सिंह

बनाम शाम कौर में 16 दिसंबर, 1959 को उप-न्यायाधीश, खरड़ की अदालत में एकपक्षीय कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया था। गुरबचन सिंह ने आगे स्वीकार किया कि उनके पास शाम कौर की सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में शपथ पत्र है और उन्होंने 25 अगस्त, 1959 को एक लिखित कथन दायर किया था, जिसमें शाम कौर के पूछने पर उन्होंने गंडा सिंह द्वारा शमशेर सिंह को गोद लेने से इनकार किया था (अवधारण किया गया)। अब मुख्य परीक्षा में दिए गए उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह विश्वसनीय गवाह नहीं है और अपनी सुविधा के अनुसार अपना रुख बदल सकता है। यह, एक हद तक, वर्ष 1951 में लिए गए शाम कौर के रुख को भी स्पष्ट करता क्योंकि वह मजबूरी में दिया गया था और जो किसी भी मामले में उनके और अपीलकर्ता द्वारा दायर संयुक्त लिखित कथन था।

26. अपीलकर्ता-वादी के वकील ने तब यह तर्क देने का प्रयास किया कि 14 नवंबर, 1936 का गोद लेने का दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिस पर गंडा सिंह द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। विद्वान वकील यह नहीं समझ पा रहे है कि यह दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया गया है और उचित रूप से सिद्ध या स्थापित नहीं किया गया है। वकील द्वारा उजागर किए गए पहलू को दिखाने के लिए ऊपर एक विस्तृत चर्चा की गई है की इसे स्वीकारोक्ति माना जाना चाहिए, पर यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता और उसकी सामग्री का प्रमाण दो अलग-अलग पहलू हैं। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के अधिक प्रमाण से भी इसकी सामग्री का प्रमाण नहीं मिल सकता है। वकील ने रेफ़र करते हगे कुछ निर्णयों का संदर्भ देते हुए कहा है कि किसी दस्तावेज़ की स्वीकारोक्ति करना सामग्री का प्रमाण माना जाएगा। फिर भी यह इसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है।

27. **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम नर्मदा अग्रवाल और अन्य**[6] के मामले का संदर्भ दिया गया है। यह एक ऐसा मामला था जहां दस्तावेज़ को स्वीकारोक्ति पर चिह्नित किया गया था और अदालत द्वारा यह देखा गया कि स्वीकार्यता का प्रश्न पृष्ठभूमि में चला गया है। आगे यह देखा गया है कि यह वादी के लिए खुला था कि वे दस्तावेज़ को स्वीकार न करें और यदि स्वीकारोक्ति पर इसे गलत तरीके से चिह्नित किया गया था, तो वादी त्रुटि को ठीक करने के लिए इसे अदालत के ध्यान में ला सकते थे। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि एक बार जब किसी दस्तावेज़ को स्वीकारोक्ति पर चिह्नित किया जाता है, तो उसकी सामग्री को भी स्वीकृति योग्य माना जाता है। अदालत ने निर्धारित किया कि सामग्री को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन

---

[6] एआईआर 1993 उड़ीसा-103

उसकी सत्यता को नहीं क्योंकि किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने वाले पक्ष को यह समझाने का भी अधिकार है कि यद्यपि दस्तावेज़ में ऐसा बयान तो है लेकिन यह सही या सत्य नहीं है। इस मामले में निर्धारित कानून का अनुपात निश्चित रूप से वर्तमान मामले के तथ्य पर लागू नहीं है। मौजूदा मामले में, संबंधित दस्तावेज़ के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई है और बल्कि यह दस्तावेज़ गंभीर रूप से विवादित है। अपीलकर्ता के वकील द्वारा आग्रह किए जाने पर उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकारोक्ति की याचिका खारिज कर दी गई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस दस्तावेज़ को स्वीकृति पर चिह्नित किया गया था और इसकी सामग्री को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। दस्तावेज़ अभी भी चिह्नित है और प्रदर्शित नहीं किया गया है। फिर **शारदा टॉकीज़ (फर्म) और दूसरा बनाम श्रीमती मधुलता व्यास और अन्य**[7] मामले का संदर्भ दिया गया है, आग्रह करते हुए कि जहां लिखित कथन में स्वीकारोक्ति की जाती है, तो प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति इस आधार पर मुकदमा दायर करने से कम नहीं होगी कि प्राथमिक साक्ष्य गायब थे। यह एक ऐसा मामला था जहां साक्ष्य साबित करते हुए कि वादी को चेक के तहत राशि का भुगतान किया गया था और लिखित बयान में स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि प्राथमिक साक्ष्य, यानी चेक की अनुपस्थिति में, साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि चेक प्राथमिक साक्ष्य हो सकता हैं लेकिन पार्टियों के बीच मुद्दा भुगतान के संबंध में था। एक बार जब प्रतिवादी ने भुगतान स्वीकार कर लिया तो चेक न होने से मुकदमा दायर करने में कोई बाधा नहीं आएगी। जैसा कि फिर से उठाया गया विवाद स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यहां यह स्वीकार नहीं किया गया है कि वादी को गोद लिया गया था जैसा कि विद्वान वकील द्वारा समझा जा रहा है। इस संबंध में, गोद लेने के विलेख या उसके संबंध में सबूत की अनुपस्थिति, इस प्रकार, महत्वपूर्ण होगी।

28. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस बात पर अवधारण दिया गया कि वर्ष 1936 का गोद लेने का दस्तावेज 30 साल पुराना दस्तावेज है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, इसकी वास्तविकता के संबंध में उपधार्णा आवश्यक है। इस संबंध में, वकील ने श्री **लक्खी बरुआ और अन्य बनाम श्री पामा कांता कलिता और अन्य**[8] का संदर्भ दिया और इसमें कोई संदेह नहीं है की साक्ष्य अधिनियम की धारा 90, आवश्यकता और सुविधा पर आधारित है क्योंकि यह अन्यथा कठिन है और कभी-कभी संभव नहीं है की तीस साल बीत जाने के बाद पुराने

---

[7] एआईआर 1996 मध्य प्रदेश - 68

[8] एआईआर 1996 एस.सी.1253

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर या निष्पादन को साबित करने के लिए सबूत पेश करना। जो उपधार्णा लगायी जा सकती है वह दस्तावेज़ के निष्पादन यानी उसके हस्ताक्षर, सत्यापन आदि से संबंधित है, लेकिन इसकी सामग्री की सच्चाई से नहीं। इस धारा पर भरोसा करने की इच्छुक पार्टी को यह भी दिखाना होगा कि यह उचित अभिरक्षा से आया है। यहां तक कि जब ऐसा दिखाया जाता है, तब भी यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह उपधार्णा लगाए या इसके निष्पादन के प्रमाण की मांग करे। दूसरे शब्दों में, अदालतों के पास औपचारिक सबूत के बिना दस्तावेज़ स्वीकार न करने का विवेकाधिकार है। उपधार्णा के नियम को बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए और जहां परिस्थितियां दस्तावेज़ की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती हैं, धारा 90 के तहत कोई उपधार्णा नहीं लगाया जा सकता है। न्यायालय के पास औपचारिक प्रमाण के बिना दस्तावेज़ को स्वीकार न करने का भी विवेकाधिकार है। दस्तावेज़ की वास्तविकता पर संदेह करने के एक से अधिक कारण हैं, जिसके लिए अपीलकर्ता को धारा 90 से समर्थन मांगने के बजाय दस्तावेज़ को औपचारिक रूप से साबित करने की आवश्यकता हो सकती है। यहां तक कि अपीलकर्ता या उसके वास्तविक पिता ने भी अलग-अलग समय पर एक अलग रुख अपनाया है। ट्रायल कोर्ट या निचली अपीलीय अदालत के समक्ष ऐसी कोई याचिका कभी नहीं उठाई गई। केवल यह तथ्य कि दस्तावेज़ 30 वर्ष पुराना है, इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत सबूत के बिना स्वीकार्य नहीं बनाया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा के तहत उपधार्णा बनाना खंडन योग्य उपधार्णा है। उचित निष्पादन की धारणा को संदिग्ध परिस्थितियों के साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है और यदि इन्हें रिकॉर्ड पर बनाया गया है, तो प्रस्तावक उन्हें हटाने के लिए बाध्य है। जहां दस्तावेज़ में गलत और एक हद तक अप्राकृतिक विवरण हों और गवाह समय-समय पर अपना रुख बदलते पाए जाएं, तो दस्तावेज़ के वास्तविक होने पर संदेह किया जा सकता है।

29. **श्री लखी बरुआ के मामले (सुप्रा)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि धारा 90 के तहत उत्पन्न होने वाली उपधारणा किसी प्रतिलिपि या प्रमाणित प्रतिलिपि पर लागू नहीं होती है, भले ही वह तीस साल पुरानी हो, हालांकि उपधारणा ऐसी हो सकती है यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने की नींव रखी गई है तो उसकी प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति के संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है। स्वीकृति के अलावा, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में शामिल किया गया है, तो स्वीकृति की पुष्टि के लिए साक्ष्य भी होना चाहिए। द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति मात्र से अपीलकर्ता को उसकी सामग्री, उसके अस्तित्व और निष्पादन को साबित करने की छूट नहीं मिल जाएगी। आगे यह भी दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिलिपि उचित अभिरक्षा से आई है। किसी प्रति से उपधार्णा

लगाने का प्रश्न, इस प्रकार, केवल तभी उठ सकता है जब इसे निष्पादक द्वारा निष्पादित साबित कर दिया जाए। दस्तावेज़ के इस टुकड़े को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, नहीं तो यह अपीलकर्ता को किसी भी उपधार्णा के लिए पूछने का अधिकार दे सकता था। भले ही उपधार्णा भी लगाया गया हो, फिर भी यह दस्तावेज़ की सामग्री को सत्य साबित करने के बराबर नहीं होगा। इसमें ऐसे विवरण शामिल पाए गए हैं जो मुकदमे में उठाई गई दलीलों के विपरीत हैं। वास्तव में, दस्तावेज़ के प्रदर्शन के अभाव में, वह ऐसा साक्ष्य नहीं है जिस पर वैध रूप से विचार किया जा सके। शायद इस कठिनाई को महसूस करते हुए, अपीलकर्ता के वकील ने यह दिखाने के लिए श्रमसाध्य प्रयास किए हैं कि गोद लेने का विलेख स्वीकार कर लिया गया था ताकि इस आधार पर उसके प्रमाण या उसकी सामग्री की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए।

30. किसी दस्तावेज़ की सामग्री का प्रमाण या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़, जबकि द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है। माना कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है और गोद लेने के दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि किसी दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करना भी, जो यह इस मुक़दमे पर लागू भी नहीं होता हैं फिर भी इसके प्रमाण से इनकार नहीं करता। इस संबंध मे **साल्ट ताराजी खिमचंद और अन्य बनाम येलामार्टी सत्यम और अन्य**[9] का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार, गोद लेने के विलेख पर भरोसा करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई वैध मामला नहीं बनाया गया है कि इस आधार पर की या तो यह साबित हुआ है या स्वीकार किया गया है या इस आधार पर कि यह एक माध्यमिक साक्ष्य है और धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत इसके बारे में धारणा उत्पन्न होगी। अन्यथा भी, गोद लेने के विलेख का विश्लेषण उसकी सामग्री और इस संबंध में दिए गए सबूतों के आधार पर किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह निश्चित रूप से मामलों की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह दस्तावेज़ बाद में अपीलकर्ता के पिता द्वारा तैयार या गढ़ा गया था, जैसा कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों का आरोप है। इस दस्तावेज़ पर गंडा सिंह के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान को साबित करके दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दस्तावेज सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है

---

[9] एआईआर 1971 एस.सी. 1865

कि यह दस्तावेज़ को कभी गंडा सिंह द्वारा चिह्नित भी किया गया था। इस दस्तावेज़ को कानून की नज़र में वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

31. दोनों अदालतें सबूतों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि गोद लेने का विलेख स्वीकृति के योग्य नहीं था क्योंकि उसमें मौजूद सामग्री तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं पाई गई या अपीलकर्ता-वादी द्वारा साबित नहीं की गई थी परीक्षण दत्तक ग्रहण विलेख। माना जाता है कि, अपीलकर्ता-वादी का जन्म 19 नवंबर, 1919 को हुआ था और गवाहों द्वारा दिए गए संस्करण के अनुसार, उसे 1920 की शुरुआत में गंडा सिंह ने गोद लिया था। फिर गुरबचन सिंह (पीडब्लू -1) के संस्करण का संदर्भ दिया गया है। अपीलकर्ता-वादी के पिता, जिन्होंने कहा कि शमशेर सिंह का पालन-पोषण, शिक्षा और विवाह गंडा सिंह ने किया था। पीडब्लू-1 के अनुसार शमशेर सिंह की शादी पाकिस्तान जाने से पहले हुई थी। अमर चंद (पीडब्लू-5) के माध्यम से सबूत है कि शमशेर सिंह की शादी 30-35 साल पहले हुई थी, जबकि वह वर्ष 1997 में अदालत में गवाह के रूप में पेश हुए थे। इस प्रकार, शमशेर सिंह की शादी 1942 में कहीं तय हो सकी थी। यह निश्चित नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से 1936 के आसपास नहीं है, यही वह तारीख थी जिस दिन यह गोद लेने का दस्तावेज़ तैयार किया गया था। वर्ष 1936 में निष्पादित दत्तक पत्र में उल्लेख है कि गंडा सिंह ने पहले ही शमशेर सिंह का विवाह करा दिया था। यह तथ्य, ऐसे में, इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य और इस तथ्य में सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता है कि 1942 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद गंडा सिंह कथित तौर पर शमशेर सिंह को अपने साथ पाकिस्तान ले गया। इससे विवाह की तारीख भी वर्ष 1942 में कहीं होगी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हरनाम सिंह को गोद लेने के दस्तावेज में गंडा सिंह के सगे भाई के रूप में संदर्भित किया गया है, जो तथ्य भी सही नहीं है क्योंकि वह संपार्श्विक और चचेरा भाई है गंडा सिंह का। सबूतों के अनुसार, हरनाम सिंह की बेटी करम कौर की शादी, हरनाम सिंह ने की थी, जबकि गोद लेने के दस्तावेज में कहा गया है कि करम कौर को एक बेटी की तरह माना जाता था और गंडा सिंह ने उससे शादी की थी। ये सभी गलत तथ्य, जिनका उल्लेख दत्तक-पत्र में किया गया है और यह दर्शाते हैं कि यह विलेख वास्तव में केवल दत्तक-ग्रहण दर्शाने के लिए तैयार किया गया था, जो वैध नहीं हो सकता है।

32. स्पष्ट रूप से वर्ष 1936 में, यानी, जब अपीलकर्ता-वादी विवाहित था और 17 वर्ष का था, जबकि गोद लेने का कार्य वर्ष 1920 में हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने भी वैध रूप से देखा यह तथ्य कि गोद लेने के दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, शायद कानूनी

स्थिति से अवगत था कि गंडा सिंह द्वारा किसी भी अजनबी को गोद नहीं लिया जा सकता है और यही कारण है कि करम कौर को गंडा सिंह की बेटी के रूप में दिखाया गया है, जिसका विवाह भी कथित तौर पर गंडा सिंह द्वारा किया गया था, गोद लेने के दस्तावेज के अनुसार, जो तथ्यात्मक रूप से गलत/गलत पाया गया है। यहां तक कि पीडब्लू-8 के साक्ष्य से भी यह कहा जा सकता है कि वादी-अपीलकर्ता शमशेर सिंह का विवाह वर्ष 1940 या उसके बाद कहीं हुआ था। पीडब्लू-8 के अनुसार, वादी की शादी उसकी पढ़ाई बंद करने के 4-5 साल बाद हुई थी और प्रदर्शित डी2 के अनुसार , वादी 31 मार्च 1936 तक स्कूल में था। इस प्रकार, उसकी शादी, पीडब्लू-8 के अनुसार, वर्ष 1940 या उसके बाद कहीं हुई थी। जाहिर है, जब वर्ष 1936 में गोद लेने का दस्तावेज निष्पादित किया गया था तब उनका विवाह नहीं हुआ था। इससे इस गोद लेने के दस्तावेज की वैधता के संबंध में एक और संदेह पैदा हो जाएगा। दत्तक ग्रहण विलेख की पुनरावृत्ति में इन कमजोरियों को पाते हुए, निचली अदालतें सही निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि यह विलेख गोद लेने को वैध दिखाने के लिए एक सुविचारित प्रयास के साथ तैयार किया गया था। इस प्रकार मौखिक गवाही देते समय गवाहों की गवाही अपीलकर्ता-वादी के दत्तक ग्रहण पर , मेरे विचार से, सही ढंग से अविश्वास किया गया।

33. प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने यह आग्रह करने के लिए प्रथागत कानून के प्रावधानों का भी उल्लेख किया कि भूमि का पुत्रहीन मालिक अपने किसी रिश्तेदार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने रैटिगन्स डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 35 का संदर्भ दिया था, जिसमें कहा गया है कि "पंजाब के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भूमि का एक पुत्रहीन मालिक अपने किसी रिश्तेदार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है"। इस आधार पर, आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता-वादी हरनाम सिंह की बेटी करम कौर का बेटा होने के कारण गंडा सिंह का रिश्तेदार नहीं है, जो की गंडा सिंह की चचेरी बहन थी। तदनुसार वह गंडा सिंह के लिए अजनबी पाया गया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रथा का तात्पर्य यह इंगित करना था कि केवल एक उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार, किसी अजनबी को गोद नहीं लिया जा सकता है। प्रतिवादी-प्रतिवादियों के अनुसार, अपीलकर्ता-वादी को उत्तराधिकारी के रूप में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इस कानूनी स्थिति को पूरा करने के बजाय, अपीलकर्ता के वकील ने इस संबंध में निचली अपीलीय अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का फायदा उठाने की कोशिश की। निर्णय के पैरा 20 का संदर्भ दिया गया है जहां निचली अपीलीय अदालत ने यह दर्ज किया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि गोद लिया गया था पर यह प्रथा के तहत था, न कि हिंदू कानून के तहत। वकील कहेगा कि यह अपील की

अनुमति देने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि अपीलकर्ता न्यायालय ने निष्कर्ष दिया था कि गोद लिया गया था । कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करने का यह दृष्टिकोण, जो केवल तर्क के लिए सही कानूनी स्थिति लाने के लिए किया गया है, अपीलकर्ता-वादी के पक्ष में नहीं पढ़ा जा सकता है। निचली अपीलीय अदालत ने यह माना कि गोद लेना, भले ही वह हो, एक पुत्रहीन मालिक द्वारा उत्तराधिकारी की नियुक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था और इसने नियुक्तिकर्ता और नियुक्त उत्तराधिकारी के बीच व्यक्तिगत संबंध से ज्यादा कुछ नहीं बनाया।

34. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनो निचली अदालतों ने समवर्ती रूप से माना है कि गंडा सिंह द्वारा शमशेर सिंह को गोद लेना वैध नहीं है। तदनुसार, एक प्रथा के अनुसार, बेटी के बेटे को गोद लेना स्वीकार्य नहीं था और यह आग्रह किया गया है कि इस मामले में गोद लेना भी अमान्य होगा। जैसा कि **केहर सिंह बनाम दीवान सिंह**[10] में निर्धारित हैं कि , पंजाब में एक प्रथागत गोद लेना आमतौर पर दत्तक पिता और केवल नियुक्त उत्तराधिकारी के बीच एक व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले उत्तराधिकारी की नियुक्ति से अधिक कुछ नहीं है। सामान्य रीति-रिवाज जो नियुक्त उत्तराधिकारी के परिवार में संपार्श्विक रूप से सक्सीड होने के अधिकार को नकारता है जैसा कि रैटिगन्स डाइजेस्ट के अनुच्छेद 49 में दत्तक पिता के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार उनका रिश्ता पूरी तरह से व्यक्तिगत है। केहर सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिवाज-ए-एम का संदर्भ दिया जहां कि दत्तक पिता के परिवार में दत्तक पुत्र के संपार्श्विक उत्तराधिकार के अधिकार को प्रथागत औपचारिक गोद लेने के मामलों में लागू किया जाना चाहिए, न कि मामलों में जहाँ उत्तराधिकारियों की प्रथागत नियुक्ति के माध्यम से गोद लिया जाता हैं। प्रत्येक पड़ाव में यह तथ्य का प्रश्न है कि जाट द्वारा गोद लेना औपचारिक है या अनौपचारिक। गोद लेने को औपचारिक माना जाता है यदि पक्ष, यह स्पष्ट इरादा प्रकट करते हैं कि दत्तक पुत्र के परिवार में पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, ताकि वह अपने प्राकृतिक परिवार की सदस्यता और उसमें संपार्श्विक उत्तराधिकार का अधिकार खो दे।ताकि साथ ही दत्तक पिता के परिवार का सदस्य बन जाता है और परिवार में संपार्श्विक उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह तथ्य के रूप में पाया गया है कि दिवंगत अपीलकर्ता शमशेर सिंह यह स्पष्ट इरादा दिखाने में सफल नहीं हो सके कि परिवार में उनका पूर्ण परिवर्तन हुआ है। रिकॉर्ड में अपीलकर्ता को लगातार उसके प्राकृतिक पिता के पुत्र के रूप में दिखाया गया था, जो यह दर्शाता है कि पार्टियों ने अपीलकर्ता के परिवार में बदलाव का कोई इरादा नहीं रखा था। यह इस कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में है कि अपीलीय न्यायालय ने देखा है कि भले ही कुछ गोद लेने के रूप में देखा गया

---

[10] एआईआर 1966 एस.सी. 1555

हो पर यह केवल अनौपचारिक होगा और ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अपीलकर्ता को गोद लेने वाले परिवार में बदल दिया गया था।

35. जैसा कि ऊपर देखा गया है की प्रथा से जो कानूनी स्थिति सामने आएगी, वह वैसी ही प्रतीत होगी। प्रतिवादी-प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह उचित ही आग्रह किया गया है कि केवल तर्क के लिए यह भी मान लिया जाए कि शमशेर सिंह को गोद लेना किसी तरह से देखा जाता है, तो यह अनौपचारिक और प्रथागत कानून के तहत होगा और वह, बेटा नहीं बनेगा शाम कौर और गंडा सिंह का और यह केवल गंडा सिंह और शमशेर सिंह के बीच एक व्यक्तिगत संबंध बनाएगा जहाँ बाद वाले को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं है । यह दिखाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि गोद लेना औपचारिक था और यह पूर्व या बाद के इरादे से किया गया था। बल्कि वादपत्र में मामला यह है कि अपीलकर्ता-वादी को रीति-रिवाजों के अनुसार गोद लिया गया था और इस तरह इसका मतलब केवल पुत्रहीन मालिक द्वारा उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना होगा और इस प्रकार से इसने केवल नियुक्तिकर्ता और नियुक्त उत्तराधिकारी के बीच एक व्यक्तिगत संबंध बनाया। अपीलीय अदालत ने इस प्रकार सही कहा है कि इस तरह की नियुक्ति से शमशेर सिंह का उसके जन्म के परिवार से दत्तक परिवार में स्थानांतरण नहीं हो सका। इस संबंध में निर्भरता **निरंजन सिंह बनाम किशन सिंह उर्फ किशना**[11] पर बनती है। इस मामले में, यह प्रेक्षित किया कि गोद लेने की औपचारिकताओं के पालन के संबंधित ठोस साक्ष्य के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि गोद लेना केवल एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति से अधिक कुछ नहीं है, जो नियुक्तिकर्ता और नियुक्त व्यक्ति के बीच व्यक्तिगत संबंध बनाता है, जहां पक्षकार पंजाब राज्य में कृषि रीति-रिवाजों द्वारा शासित होते हैं। यह प्रेक्षित किया की ऐसी स्थिति न तो नियुक्त उत्तराधिकारी और नियुक्तिकर्ता के बीच रिश्तेदारी का बंधन स्थापित कर सकती है और न ही नियुक्त व्यक्ति के दत्तक परिवार में स्थानांतरण का प्रभाव डाल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति के उसके प्राकृतिक परिवार के साथ संबंध, पूर्ण रूप से विच्छेद हो सकते हैं, जब तक कि इसके विपरीत विशेष प्रथा किसी दिए गए जिले में विशेष जनजाति में या पार्टियों के विशेष परिवार में मौजूद साबित होती है। इस संबंध में केहर सिंह के मामले (सुप्रा) का भी संदर्भ दिया जा सकता है। इसे न तो सबूतों से दिखाया गया और न ही मेरे सामने इतनी दलील दी गई कि यह औपचारिक गोद लेने का मामला है जहां पूर्ण प्रत्यारोपण हुआ था।

---

[11] 1967 करंट लॉ जर्नल 387

36. निचली अपीलीय अदालत ने प्रेक्षित किया कि गोद लेने के तरीके से अन्यथा इस मामले में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा। यह एक तथ्य के रूप में देखा गया है कि गंडा सिंह की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति विधवा शाम कौर को हस्तांतरित हो गई। यदि उसे गंडा सिंह और शाम कौर के बेटे के रूप में अनुवादित किया गया है तो वह उत्तराधिकारी के रूप में शाम कौर की संपत्ति का हकदार होगा। जैसा कि पहले ही निर्धारित किया जा चूका हैं कि गोद लेने का तरीका अधिकतम, भले ही तर्क के लिए लिया जाए, केवल यह दिखाने के लिए साबित होगा कि अपीलकर्ता-वादी को केवल उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे दत्तक पुत्र के रूप में भी नहीं माना जा सकता है। फिर प्रेक्षित किया गया है कि अपीलकर्ता-वादी, गंडा सिंह के चचेरे भाई की बेटी का बेटा होने के नाते, रिश्तेदार नहीं होने के कारण उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था, जो केवल प्रथा के अनुसार उसका उत्तराधिकारी हो सकता था और उसे इस तरह नियुक्त किया जा सकता था, सिर एक वारिस के रूप में।कानूनी तौर पर, इस प्रकार, प्रथागत कानून के अनुसार अपीलकर्ता को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की वैधता के संबंध में संदेह था और यदि ऐसा था भी, तो यह केवल व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए होगा और इस प्रकार वह इसका हकदार नहीं होगा की वह एक पुत्र के रूप में शाम कौर की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन पाए।

37. अपीलकर्ता-वादी ने ग्राम सुखगढ़ में एक भूमि के नाम पर किए गए उत्परिवर्तन की कुछ प्रविष्टियों पर पतियाना की है। इस गाँव की कुछ ज़मीन गंडा सिंह के वारिसों के रूप में शाम कौर और शमशेर सिंह के नाम पर बदल दी गई थी। इसे एक स्वीकारोक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे इस प्रकार अपीलकर्ता के वकील ने यह कहते हुए उजागर किया है कि अपीलकर्ता-वादी का गोद लेना इस तथ्य से स्थापित होगा। प्रदर्शित डी5, म्यूटेशन के रजिस्टर, से एक उद्धरण है, जिसमें सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की एंडोर्स्मेंट भी हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसे शाम कौर की स्वीकारोक्ति कैसे कहा जा रहा है। यह केवल एक प्रविष्टि है जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा उत्परिवर्तन के समय अपने शब्दों में उल्लेख किया गया है। निचली अदालतों द्वारा यह सही कहा गया है कि एक स्वीकारोक्ति को तब माना जा सकता है जब पूरा संदर्भ अदालत के सामने हो ताकि यह देखा जा सके कि किन परिस्थितियों में ऐसा बयान दिया गया था। इस संबंध में **ईश्वर दास बनाम अर्जन सिंह और अन्य**[12] का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, इस प्रविष्टि को गंडा सिंह द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, हालांकि वह 14 नवंबर, 1936, को विलेख के निष्पादन के बाद 12 वर्षों तक जीवित रहे

---

[12] 1996 करंट लॉ जर्नल-537

थे। निचली अपीलीय अदालत ने औचित्य के साथ **किशोरी लाल बनाम एमएसटी चलती बाई**[13] में निर्धारित कानून का हवाला दिया है जहाँ परिवार के सदस्यों से घिरी एक हिंदू विधवा की स्वीकारोक्ति, जिसकी रुचि उस पर गोद लेने का अधिकार देने में थी, का बहुत कम महत्व होगा। जैसा कि देखा गया है, जब गोद लेना स्वयं एक तथ्य के रूप में साबित नहीं होता है, तो उत्परिवर्तन या लिखित कथन में निहित स्वीकारोक्ति का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। शमशेर सिंह को गंडा सिंह का दत्तक पुत्र बताने वाली वंशावली प्रविष्टियाँ केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा, बिना किसी आधार के तैयार किया गया, एक रिकॉर्ड है, जिसे वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता-वादी के पिता गुरबचन सिंह द्वारा लिया गया रुख जिस पर विस्तार से गौर किया गया है इन उपरोक्तअनुच्छेदों में, भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता के प्राकृतिक पिता गुरबचन सिंह (पीडब्लू-1) ने शमशेर सिंह का गोद लेने की प्रक्रिया से इनकार कर दिया था और इस संदर्भ में निचली अदालतों की टिप्पणियों से पता चलता है कि शाम कौर तथाकथित गोद लेने के लिए पहले तभी सहमत हुई थी जब बसंत कौर और बलजीत कौर ने उसके खिलाफ मुकदमेबाजी की और खुद की सुरक्षा के लिए इस तथाकथित स्वीकारोक्ति का देना, एक वैध स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार, इस स्वीकारोक्ति को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है जैसा कि निचली अदालतों द्वारा किया गया है।

38. निष्कर्ष से पहले, मामले के दो पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया और निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए यह पर्याप्त आधार होगा। यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने 31 अक्टूबर, 1952 को बसंत कौर और बलजीत कौर के एक भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए मुक़दमे को खारिज करते हुए वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित फैसले की एक प्रति पेश करने के लिए आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया था। निचली अपीलीय अदालत ने इस आवेदन पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह निर्णय वर्तमान मामले में विवाद पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि निचली अपीलीय अदालत ने देखा, मौजूदा मामले में सवाल यह देखना था कि शाम कौर का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी वादी या बसंत कौर और बलजीत कौर और इस तरह वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा दिया गया फैसला इस संबंध में बहुत प्रासंगिकता का नहीं है। इस फैसले की प्रति अन्यथा

---

[13] एआईआर 1959 एस.सी. 504

मेरे सामने रखी गई थी और उसके अवलोकन से पता चलता है कि मुकदमा तब खारिज कर दिया गया था जब वादी ने जिला अंबाला में स्थित संपत्ति पर अपने दावे को सीमित करने के लिए वादपत्र में संशोधन करने से इनकार कर दिया था। गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अन्यथा भी, वकील भी यह नहीं दिखा सका कि क्या वादी ने अपीलीय चरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए कोई मामला बनाया था। यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया।

39. गुरशरण कौर द्वारा एक पक्षकार बनाए जाने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया है। इस स्तर पर, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत देर हो चुकी होती है एक पक्षकार के रूप में शामिल किये जाने हेतु। अन्यथा भी, उत्तरदाताओं के अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रवाहित होते हैं। आवेदक यह दर्शाने में सक्षम नहीं है कि वह आवश्यक या उचित पक्ष है। आवेदक को अपना अधिकार, यदि कोई है तो, वर्तमान मुकदमेबाजी के माध्यम से नहीं, बल्कि यदि उसके पास अन्यथा कोई और उपाय हैं तो उसके माध्यम से मांगना होगा। अत: मैं इस आवेदन को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं हूं और इसे भी खारिज किया जाता है।

40. इसके लिए पर्यवेक्षण की ज़रूरत है कि अपीलकर्ता द्वारा सारवान विधि का प्रश्न नहीं उठाया गया था। चूँकि इस मामले में साक्ष्य की स्वीकार्यता, गोद लेने के विलेख और प्रथागत कानून के संबंध में सारवान विधि के प्रश्न उठते हैं, इसलिए उस अदालत में अपील खारिज नहीं की जानी चाहिए थी ।

41. इसके लिए पर्यवेक्षण की ज़रूरत है, कि अपीलकर्ता-वादी ने पहली बार दत्तक पुत्र के रूप में अपने अधिकार का दावा किया था जब उसने वर्ष 1958 में मुकदमा दायर किया था। यह उसके कथित दत्तक पिता गंडा सिंह की मृत्यु के दस साल बाद था। वह दस साल तक इंतजार क्यों करेंगे और संपत्ति को शाम कौर के नाम पर बदलने की अनुमति क्यों देंगे, यह आसानी से नहीं बताया जा सकता है। वह फिर भी सफल नहीं हुए और उसके बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद, उन्होंने यह मुकदमा वर्ष 1976 में दायर किया। वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए उन्होंने 1958 से 1976 तक इंतजार क्यों किया? वर्ष 1958 में उनके द्वारा दायर प्रारंभिक मुकदमे में, उनके प्राकृतिक पिता ने शाम कौर की ओर से एक लिखित कथन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि गोद लेना कभी नहीं हुआ था। इन सभी मुद्दों पर निचली अदालतों द्वारा उचित रूप से चर्चा की भी और फिर निर्णय दिया गया है। मुझे निचली अपीलीय अदालत द्वारा

दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में कोई कानूनी कमजोरी नहीं मिली। विवाद्यक संख्या 8 और 11 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को सही ढंग से उलट दिया गया है। अन्यथा भी, शेष विवाद्यको पर मेरे समक्ष कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया था और तदनुसार इन सभी विवाद्यको, पर निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि की जाएगी।

42. इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील बिना किसी योग्यता के पाई गई और खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़